



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 866]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 866]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. 1316(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458, धारा 459 और धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय I

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
  - “प्राधिकरण” से केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन कार्यों के निर्वहन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकरण अभिप्रेत है;
  - “आस्ति वर्ग” से आस्तियों के एक ऐसे विशेष समूह, जैसे भूमि और भवन, मशीनरी और उपकरण, इसी तरह की विशेषताएं दर्शाने वाले, जिनका वर्गीकृत किया जा सकता है तथा जिनके मूल्यांकन के लिए मूल्यांककों के पृथक समूहों की अपेक्षा है, से अभिप्रेत है;
  - “मान्यता प्रमाणपत्र” से नियम 13 के उप-नियम (5) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के संगठन को दिया गया मान्यता प्रमाणपत्र से अभिप्रेत है और तदनुसार “मान्यता” पद का अर्थ लगाया जाएगा;
  - “रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र” से नियम 6 के उपनियम (6) के अधीन किसी मूल्यांकक को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और तदनुसार “रजिस्ट्रीकरण” पद का अर्थ लगाया जाएगा;

- (च) “भागीदारी अस्तित्व” से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है;
- (छ) “उपाबंध” से इन नियमों का कोई उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ज) “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन” से नियम 13 के उपनियम (5) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन अभिप्रेत है;
- (झ) “मूल्यांकन मानक” से नियम 18 में निर्दिष्ट मूल्यांकन के मानक अभिप्रेत हैं;
- (ञ) “मूल्यांकक” से इन नियमों के अनुसार प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और तदनुसार “रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक” पद का अर्थ लगाया जाएगा।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उक्त नियमों में उनके हैं।

## अध्याय II

### मूल्यांककों की पात्रता, अर्हताएं और रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के लिए पात्रता – कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए पात्र होगा यदि –

(क) वह किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का मूल्यांकक सदस्य है;

*स्पष्टीकरण-* इस खंड के प्रयोजनार्थ, “मूल्यांकक सदस्य” किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का ऐसा सदस्य होगा जिसके पास मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने हेतु अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है;

(ख) उसकी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, जिसका वह मूल्यांकक सदस्य है, द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए उसकी सिफारिश की गई है;

(ग) उसने नियम 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व नियम 5 के अधीन मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है;

(घ) उसके पास नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव है;

(ङ) वह अवयस्क नहीं है;

(च) उसे विकृत चित्त घोषित नहीं किया गया है;

(छ) वह एक अनुन्मोचित दिवालिया नहीं है, या दिवालिये के रूप में न्याय-निर्णय किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है;

(ज) वह ऐसा व्यक्ति है, जो भारत में निवास करता है;

*स्पष्टीकरण-* इन नियमों के प्रयोजनार्थ 'भारत में निवास करने वाला व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 का खंड (फ) में उसका है।

(झ) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंडनीय किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, छह मास से अनधिक अवधि के लिए दोषसिद्धि किया गया है का कारावास और इस कारावास की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है:

परंतु कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि किया गया है और उस संबंध में सात साल या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है तो वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा;

(ञ) उस पर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 271(ञ) के अधीन शास्ति नहीं लगायी गई है और आयकर आयुक्त (अपील) या आयकर अपील अधिकरण, यथास्थिति, के समक्ष अपील दायर करने की समयसीमा समाप्त हो गई है, या ऐसी शास्ति की आयकर अपील अधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है, और ऐसी शास्ति लगाए जाने के बाद पांच वर्ष व्यपगत नहीं हुए हैं; और

(ट) वह योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है:

*स्पष्टीकरण- प्राधिकरण यह अवधारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है, निम्नलिखित मानदंडों सहित परंतु इन तक सीमित न रहते हुए किसी भी सुसंगत मानदंड पर विचार कर सकता है -*

- (i) सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और चरित्र,
- (ii) दोषसिद्धि और रोक लगाने के आदेशों की अनुपस्थिति, और
- (iii) सक्षमता और वित्तीय शोधन क्षमता।

(2) कोई भागीदारी अस्तित्व या कंपनी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में पात्र नहीं होगी यदि-

(क) उसकी स्थापना मूल्यांकन सेवाओं सहित वृत्तिक या वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए की गई है और किसी कंपनी के मामले में, यह कोई अनुषंगी, संयुक्त उद्यम या किसी अन्य कंपनी या कारपोरेट निकाय की सहायक कंपनी नहीं है;

(ख) वह किसी दिवाला समाधान के दौर से गुजर रही है या अनुमोचित दिवालिया है;

(ग) उसके सभी भागीदारों या निदेशकों, यथास्थिति, उपनियम 1 के खंड (ग), (घ), (ङ), (छ), (ज), (झ), (ञ) और (ट) के अधीन अपात्र नहीं है;

(घ) भागीदारी अस्तित्व या कंपनी, यथास्थिति, के तीन या सभी भागीदार या निदेशक, जो भी कम हो, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नहीं है; या

(ङ) इसका कोई भी भागीदार या निदेशक, यथास्थिति, मूल्यांकन के लिए आस्ति वर्ग हेतु, जिसके लिए वह एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनना चाहता है, का रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नहीं है।

4. **अर्हताएं और अनुभव** – किसी व्यष्टिक के पास नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का पात्र बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं एवं अनुभव होने चाहिए, अर्थात् –

- (क) भारतीय विधि द्वारा स्थापित, मान्यताप्राप्त या निगमित किसी विश्वविद्यालय या संगठन से विनिर्दिष्ट विधा में स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा और उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट विधा में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; अथवा
- (ख) भारतीय विधि द्वारा स्थापित, मान्यताप्राप्त या निगमित किसी विश्वविद्यालय या संगठन से विनिर्दिष्ट विधा में स्नातक की डिग्री या समकक्ष और उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट विधा में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव; अथवा
- (ग) किसी वृत्ति के नियमन के प्रयोजन के लिए संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित किसी वृत्तिक संस्थान की सदस्यता के साथ ऐसी सदस्यता के पश्चात् न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव और खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट अर्हताएं; अथवा

*स्पष्टीकरण-I* - इस खंड के प्रयोजन के लिए 'विशिष्ट विधा' का अभिप्राय उस विशेष विधा से होगा जो किसी आस्ति वर्ग के मूल्यांकन हेतु सुसंगत है, जिसके लिए इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में एक मूल्यांकक या मान्यता के रूप में रजिस्ट्रीकरण मांगा गया है।

*स्पष्टीकरण II* - विभिन्न आस्ति वर्गों के लिए अर्हक शिक्षा और अनुभव तथा परीक्षा या प्रशिक्षण इन नियमों के उपाबंध-IV में दर्शाई गई रीति में दिए गए हैं।

5. **मूल्यांकन परीक्षा** – (1) प्राधिकरण, व्यष्टियों के लिए, जो नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव रखता हो और किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के सदस्य के रूप में अपनी शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुका हो, के लिए एक या अधिक आस्ति वर्गों के लिए उनके मूल्यांकन संबंधी वृत्तिक ज्ञान, कौशल, मूल्य और नैतिक जांच या तो स्वयं या किसी नामीनिर्दिष्ट संगठन के माध्यम से करेगा मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करेगा:

परंतु कि प्राधिकरण किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा इसको मान्यता दिए जाने से पहले संयोजित किए गए किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित होने के उद्देश्य के लिए मान्यता दे सकता है:

परंतु यह भी कि प्राधिकरण किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मास्टर या स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित किसी परीक्षा जो मूल्यांकक परीक्षा के समकक्ष हो, को मान्यता दे सकता है।

(2) प्राधिकरण इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक या अधिक समितियों की सिफारिश पर मूल्यांकन विशेष विषयों या आस्तियों के वर्गों के लिए पाठ्य विवरण अवधारित करेगा।

(3) मूल्यांकन परीक्षा का पाठ्य विवरण, प्ररूप और आवृत्ति अर्हक अंकों सहित परीक्षा से न्यूनतम तीन माह पहले प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) कोई व्यष्टिक जो मूल्यांकन परीक्षा पास करता है, परीक्षा पास करने की पावती प्राप्त करेगा।

(5) कोई व्यक्ति कितनी भी बार मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है।

6. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन** – (1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में पांच हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित **उपाबंध-II** के **प्ररूप-क** में आवेदन कर सकता है।

(2) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र भागीदार अस्तित्व या कंपनी प्राधिकरण के पक्ष में दस हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित **उपाबंध-II** के **प्ररूप-ख** में आवेदन कर सकती हैं।

(3) प्राधिकरण आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को आवेदन में कमियों, यदि कोई है तो, को दूर करने के लिए इक्कीस दिन प्रदान कर सकेगा।

(4) प्राधिकरण, आवेदक से इक्कीस दिन के भीतर अतिरिक्त दस्तावेजों या स्पष्टीकरणों, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) प्राधिकरण आवेदक को आवेदन की प्रक्रिया हेतु स्पष्टीकरण या व्याख्या देने के लिए आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बीस दिन के भीतर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) यदि प्राधिकरण का ऐसी संवीक्षा, या पूछताछ, जो आवश्यक प्रतीत हो, से समाधान हो जाता है कि आवेदक इन नियमों के अधीन पात्र है तो वह अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण, या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, यथास्थिति, के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए गए समय को छोड़कर, आवेदन प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर **उपाबंध-II** के **प्ररूप-ग** में सुसंगत आस्ति वर्ग या वर्गों के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के कार्यकलाप करने के लिए आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र दे सकता है।

(7) इन नियमों के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि प्राधिकरण की *प्रथम दृष्टया* यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण नहीं प्रदान किया जाना चाहिए तो वह त्रुटियां दूर करने, अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण, या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, यथास्थिति, के लिए दिए गए समय को छोड़कर आवेदन प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर, ऐसी राय बनाने के कारणों को सूचित करेगा।

(8) आवेदक सूचना प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर उप-नियम (7) के अधीन उसका आवेदन स्वीकार किए जाने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा ताकि प्राधिकरण अंतिम राय बना सके।

(9) आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई है तो, पर विचार करने के बाद उप-नियम (8) के अधीन प्राधिकरण या तो –

(क) आवेदन स्वीकार करेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा; या

(ख) एक आदेश द्वारा उन कारणों को बताते हुए आवेदन अस्वीकार करेगा।

(10) प्राधिकरण स्पष्टीकरण प्राप्ति के तीस दिन के भीतर आवेदक को अपना विनिश्चय सूचित करेगा।

7. **रजिस्ट्रीकरण की शर्तें** – नियम 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान किया जाएगा कि मूल्यांकक –

(क) नियम 3 और 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पात्रता और अर्हता और अनुभव हर समय रखेगा;

- (ख) संबंधित रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के अधिनियम, इन नियमों और उप-नियमों, या आंतरिक विनियमों का यथास्थिति के उपबंधों का हर समय अनुपालन करेगा;
- (ग) एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में अपनी क्षमता में उन आस्तियों या आस्तियों के वर्ग(वर्गों) के अलावा कोई मूल्यांकन नहीं करेगा, जिसके लिए वह प्राधिकरण द्वारा उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है;
- (घ) एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन संगठन से दूसरे में अपनी सदस्यता स्थानांतरित करने के लिए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेगा;
- (ङ) शिकायतों के निवारण हेतु पर्याप्त कदम उठाएगा;
- (च) स्वयं द्वारा किए गए सभी कार्यों की समाप्ति से कम से कम तीन वर्षों के लिए ऐसे कार्यों का अभिलेख रखेगा;
- (छ) उस रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, जिसका वह सदस्य है, की आचार संहिता (इन नियमों की उपाबंध I के अनुसार) का पालन करेगा;
- (ज) भागीदारी अस्तित्व या कंपनी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के मामले में, जिस आस्ति वर्ग का मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके लिए केवल उसी भागीदार या निदेशक, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक है, को उसके निमित्त हस्ताक्षर करने और कार्य करने के लिए अनुमत्त करेगा;
- (झ) यदि कोई भागीदारी अस्तित्व या कंपनी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक है तो वह संबंधित कंपनी को, यथास्थिति, ऐसे भागीदार का निदेशक द्वारा, जो कंपनी के सुसंगत मूल्यांकन संबंधी कर्तव्यभार के संबंध में हस्ताक्षर और कार्रवाई करेगा, भागीदारी अस्तित्व या कंपनी में नियोजित या अभिदाय की गई पूंजी के विस्तार को प्रकट करेगा।
- (ञ) यदि भागीदारी अस्तित्व रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक है तो वह उस भागीदार, जो भागीदारी संगठन की ओर से मूल्यांकक कार्यों के संबंध में हस्ताक्षर या कार्य करता है, के साथ संयुक्त रूप से और पृथक रूप से जिम्मेदार होगी;
- (ट) यदि कंपनी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक है तो वह कंपनी उस निदेशक, के साथ जो कंपनी के निमित्त कार्यों के संबंध में हस्ताक्षर और कार्य करता है, के साथ-साथ जिम्मेदार होगी;
- (ठ) यदि भागीदारी अस्तित्व या कंपनी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक है तो वह किसी भागीदार या निदेशक, यथास्थिति, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक हो, को हटाने के मामले में, इस तरह हटाये जाने के विस्तृत कारणों सहित प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगी; और
- (ड) अन्य ऐसी शर्तें, जो प्राधिकरण द्वारा लगाई जा सकती हैं, का पालन करेगा।

**8. मूल्यांकन का किया जाना –** (1) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक मूल्यांकन करते समय नियम 18 के अधीन यथाअधिसूचित या उपांतरित अनुसार मूल्यांकन मानकों का अनुपालन करेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा मूल्यांकन मानकों के अधिसूचित या उपांतरित किए जाने तक कोई मूल्यांकक निम्नलिखित के अनुसार मूल्यांकन करेगा –

- (क) अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानक;
- (ख) किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानक।

(2) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए इनपुट अभिप्राप्त कर सकेगा या किसी आस्ति के लिए किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से पृथक मूल्यांकन प्राप्त कर सकेगा, ऐसे मामले में अपनी रिपोर्ट में अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के इनपुटों और विशिष्टियों के ब्यौरे पूर्ण रूप से प्रकट करेगा और अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए इनपुट या मूल्यांकन की प्रकृति पर विचार किए बिना पारिणामिक मूल्यांकन के विरुद्ध दायित्व प्रथम उल्लिखित मूल्यांकक का ही रहेगा।

(3) मूल्यांकक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित उल्लेख करेगा –

- (क) मूल्यांकन किए जाने वाले आस्ति की पृष्ठभूमि सूचना;
- (ख) मूल्यांकन का उद्देश्य और नियुक्ति प्राधिकारी;
- (ग) मूल्यांकन में सम्मिलित मूल्यांकक और किन्हीं अन्य विशेषज्ञों की पहचान;
- (घ) मूल्यांकक के हित या विरोध, यदि कोई है, का प्रकटीकरण;
- (ङ) नियुक्ति की तारीख, मूल्यांकन की तारीख और रिपोर्ट की तारीख;
- (च) किए गए निरीक्षण और/या अन्वेषण;
- (छ) प्रयुक्त सूचना/जिस पर सूचना आधारित है उसकी प्रकृति और स्रोत;
- (ज) मूल्यांकन करने में अपनाई गई प्रक्रियाएं या मूल्यांकन पद्धति;
- (झ) इसके प्रयोग पर प्रतिबंध, यदि कोई हो;
- (ञ) मूल्यांकन के दौरान ध्यान में आए वृहत कारक;
- (ट) निष्कर्ष; और

(ठ) मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए उसकी जिम्मेदारी की सीमाओं के प्रयोजनार्थ मूल्यांकक द्वारा सामना नहीं की जाने वाली सीमाओं को स्पष्ट करने या समझाने की चेतावनी, सीमाएं और प्रकटीकरण।

**9. अस्थायी अभ्यर्पण**—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की उप-विधियों या विनियमों, यथास्थिति, के अनुसरण में अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अस्थायी रूप से अभ्यर्पित कर सकता है और ऐसे अभ्यर्पण पर, मूल्यांकक ऐसी सूचना अभिलिखित किए जाने हेतु प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(2) यदि किसी मूल्यांकक सदस्यों ने अस्थायी रूप से अपनी सदस्यता अभ्यर्पित की है या अस्थायी अभ्यर्पण के बाद बहाल की है तो अस्थायी अभ्यर्पण या बहाली, यथास्थिति, के लिए आवेदन को अनुमोदन प्राप्त होने के अधिकतम सात दिनों से भीतर रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन प्राधिकरण को सूचित करेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के मूल्यांकक सदस्यों, जिन्होंने अपनी सदस्यता अभ्यर्पित या बहाल की हो, के नाम और अन्य ब्यौरे अपनी वेबसाइट पर डालेगा।

**10. मूल्यांकक के कृत्य**— कोई मूल्यांकक अधिनियम के अधीन इन नियमों के अनुसार अपेक्षित मूल्यांकन करेगा और किसी अन्य विधि के अधीन या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित होने पर वह इन नियमों के अनुसार मूल्यांकन कर सकता है।

**11. संक्रमणकालीन व्यवस्था**— (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख पर संहिता के अधीन मूल्यांकन सेवाएं देता है, तारीख 31 मार्च, 2018 तक इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना मूल्यांकन सेवाएं जारी रख सकता है:

परंतु कि यदि कोई कंपनी ने ऐसी तारीख से पहले किसी मूल्यांकक को नियुक्त किया है और तारीख 31 मार्च, 2018 से पहले मूल्यांकन या इसका कोई भाग पूरा नहीं किया गया है तो मूल्यांकक इसके बाद तीन माह के भीतर ऐसा मूल्यांकन या ऐसा भाग समाप्त करेगा।

**स्पष्टीकरण**— यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया मूल्यांकन इन नियमों के प्रवृत्त होने के आधार पर तब तक प्रवृत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि इन नियमों के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन संबंधित अन्य कानूनों या अन्य नियामक निकाय अपेक्षित होते हैं इस मामले में यह नियम कानून के अधीन या विनियामक निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे मूल्यांकन के लिए भी लागू होंगे।

## अध्याय III

## रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों की मान्यता

12. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों के लिए पात्रता – (1) कोई संगठन, जो उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करता है, किसी विशेष आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के मूल्यांकन के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है, यदि –

(i) वह किसी आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के मूल्यांककों के नियमन से संबंधित मामलों से निपटने के एकमात्र उद्देश्य के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हैं और इसकी उपविधियों में उपाबंध-III में विहित अपेक्षाएँ सम्मिलित हैं;

(ii) वह किसी वृत्ति के नियमन के प्रयोजनार्थ अधिनियमित संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई वृत्तिक संस्थान है;

परंतु कि उप-नियम (3) के अधीन, निम्नलिखित संगठन भी किसी विशेष आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के मूल्यांकन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती हैं, अर्थात् –

(क) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या अन्य सुसंगत राज्य कानून के अधीन सोसायटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत संगठन, या

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा शासित किसी न्यास के रूप में स्थापित संगठन।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संगठन को मान्यता दी जाएगी यदि वह -

(क) वैयक्तिकों, जो इसके मूल्यांकक सदस्य हो सकते हैं, के लिए अध्ययन कक्षाओं में या दूरस्थ शिक्षा माड्यूल द्वारा मूल्यांकन में प्राधिकरण द्वारा नियम 5 के अधीन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित करता है और जिसमें वृत्तिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित हों।

(ख) व्यक्तियों, जो नियम 4 के अनुसरण में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखता है, को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए आस्ति वर्ग के मूल्यांकन के संबंध में सदस्यता या व्यवसाय प्रमाणपत्र देता है;

(ग) वैयक्तिक सदस्यों को व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है;

(घ) मूल्यांककों, जो इसके सदस्य हैं, के लिए उपाबंध-I में विनिर्दिष्ट सभी प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए एक आचार संहिता निर्धारित और लागू करता है;

(ङ) वैयक्तिकों, जो इसके सदस्य हैं, के लिए शिक्षा जारी करने हेतु उपबंध करता है;

(च) मूल्यांककों, जो इसके सदस्य हैं, की सेवा गुणवत्ता सहित कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है और समीक्षा करता है; तथा



(छ) शिकायत निवारण तंत्र रखता है और मूल्यांककों, जो इसके सदस्य हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है।

(3) एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, उपनियम (1) के परंतुक के अधीन एक संगठन होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन अपने को एक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो सकती है या रजिस्टर हो सकती है तथा इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर **उपाबंध-III** में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को अपने उपनियमों में सम्मिलित कर सकती है।

13. **मान्यता के लिए आवेदन** – (1) कोई पात्र संगठन, जो नियम 12 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है, आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु **उपाबंध-II** के **प्ररूप-घ** में प्राधिकरण के पक्ष में एक लाख रूपए का गैर-वापसी योग्य भुगतान आवेदन शुल्क देकर आवेदन कर सकती है।

(2) प्राधिकरण आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को आवेदन में कमियों, यदि कोई है तो, को दूर करने के लिए इक्कीस दिन का समय दे सकता है।

(3) प्राधिकरण आवेदक से इक्कीस दिन के भीतर अतिरिक्त दस्तावेजों या स्पष्टीकरणों, जैसा उचित प्रतीत हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(4) प्राधिकरण आवेदक को आवेदन की प्रक्रिया हेतु स्पष्टीकरण या व्याख्या देने के लिए आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इक्कीस दिन के भीतर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है।

(5) यदि प्राधिकरण का ऐसी संवीक्षा, निरीक्षण या पूछताछ, जैसा आवश्यक प्रतीत हो, से समाधान हो जाता है कि आवेदक इन नियमों के अधीन पात्र है तो वह **उपाबंध-II** के **प्ररूप-ङ** में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता का एक प्रमाणपत्र दे सकता है।

(6) इन नियमों के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, यदि प्राधिकरण की *प्रथम दृष्टया* यह राय होती है कि रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए तो वह त्रुटियां दूर करने, अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण, या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, यथास्थिति, के लिए दिए गए समय को छोड़कर आवेदन प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर, ऐसी राय बनाने के कारणों को सूचित करेगा।

(7) आवेदक सूचना प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर उप-नियम (6) के अधीन उसका आवेदन स्वीकार किए जाने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा ताकि प्राधिकरण अंतिम राय बना सके।

(8) आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई है तो, पर विचार करने के बाद उप-नियम (7) के अधीन प्राधिकरण या तो –

(क) आवेदन स्वीकार करेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा; या

(ख) एक आदेश द्वारा कारण बताते हुए आवेदन अस्वीकार करेगा।

(9) प्राधिकरण स्पष्टीकरण प्राप्ति के तीस दिन के भीतर आवेदक को अपना निर्णय सूचित करेगा।

14. **मान्यता की शर्तें** – (1) नियम 13 के अधीन दी जाने वाली मान्यता इन शर्तों के अध्याधीन होगी कि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन –

(क) नियम 12 के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षित पात्रता हमेशा पूरी करेगा;

(ख) उन सदस्यों का, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक हैं, एक रजिस्टर रखेंगे, जिसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) केवल उन्हीं व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में स्वीकृत करेगी जो नियम 4 और इसके मान्यता प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अनुसार अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं;

(घ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ऐसी रिपोर्टों को तैयार करेगी;

(ङ.) प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश और नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन मूल्यांकक संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करेगा;

(च) यदि वह नियम 12 के उपनियम (1) के परंतुक के अधीन मान्यता प्राप्त एक संगठन है तो इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर **उपाबंध-III** में विनिर्दिष्ट शासन की संरचना या विधियों सहित अधिनियम की धारा 8 के अधीन एक कंपनी के रूप में परिवर्तित या रजिस्ट्रीकृत की जा सकती है;

(छ) यदि वह नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट एक मान्यता प्राप्त संगठन है और इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान है तो उसकी शासन की संरचना होगी और इन नियमों के प्रवृत्त होने से एक वर्ष के भीतर **उपाबंध-III** में विनिर्दिष्ट अपेक्षित इसके उपविधियों को शामिल करेगी;

(ज) अपने प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के विरुद्ध नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित उसकी स्थिति और विस्तृत ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर दर्शाएगी; और

(झ) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य शर्तों का पालन करेगी।

#### अध्याय IV

#### रजिस्ट्रीकरण या मान्यता प्रमाणपत्र को रद्द करना या निलंबित करना

**15. रजिस्ट्रीकरण या मान्यता प्रमाणपत्र रद्द या निलंबित करना** – प्राधिकरण किसी मूल्यांकक के रजिस्ट्रीकरण या किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की मान्यता अधिनियम, उसे मूल्यांकन कार्य करने की अनुमति देने वाली अन्य विधि के उपबंधों, इन नियमों या रजिस्ट्रीकरण या मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए **नियम 17** में विनिर्दिष्ट रीति में रद्द या निलंबित कर सकता है।

**16. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के विरुद्ध शिकायत** – किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के विरुद्ध प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या कोरियर से प्राधिकरण के पक्ष में एक हजार रुपए के गैर-पुनर्भुगतान किए जाने योग्य शुल्क सहित एक शिकायत दायर की जा सकती है और प्राधिकरण शिकायत की जांच करेगा तथा ऐसी आवश्यक कार्यवाही करेगा, जैसा वह उचित समझे:

परंतु किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जो किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का कोई भागीदार या निदेशक है, के विरुद्ध शिकायत के मामले में प्राधिकरण ऐसे संगठन को शिकायत भेजेगा और वह संगठन अपनी उपविधियों के आधार पर उस शिकायत का निवारण करेगा।

17. रजिस्ट्रीकरण या मान्यता प्रमाणपत्र को रद्द या निलंबित करने के लिए किए जाने वाली कार्यवाही - (1) किसी निरीक्षण या अन्वेषण, या प्राप्त शिकायत या अभिलेख में उपलब्ध अन्यथा सामग्री के परिणामों के आधार पर, यदि प्राधिकृत अधिकारी का प्रथम दृष्टया राय है कि किसी मूल्यांकक का रजिस्ट्रीकरण रद्द या निलंबित करने अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की मान्यता रद्द या निलंबित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वह मूल्यांकक या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन को एक कारण बताओ सूचना जारी कर सकता है:

परंतु नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ii) में विहित किसी संगठन, जिसे मान्यता दे दी गई है, के मामले में प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण या अन्वेषण करने की बजाय, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन से निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित सूचना मांगेगा और किसी चूक के मामले में निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध कराने का एक और अवसर देगा, इसमें असफल रहने या पर्याप्त अथवा संतोषजनक सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के मामले में इस नियम के अधीन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

(2) कारण बताओ सूचना लिखित होगा और उसमें निम्नलिखित उल्लिखित होगा -

- (क) अधिनियम और नियम के वे उपबंध जिसके अधीन इसे जारी किया गया है;
- (ख) कथित तथ्यों का ब्यौरा;
- (ग) कथित तथ्यों के पक्ष में साक्ष्यों का ब्यौरा;
- (घ) अधिनियम या नियम के उपबंध या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या मान्यता के अभिकथित उल्लंघन, या वह रीति जिसमें सार्वजनिक हित कथित रूप से प्रभावित हुआ है;
- (ङ.) यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही या जारी किए जाने वाले निदेश;
- (च) वह रीति, जिसमें उस व्यक्ति को कारण बताओ सूचना का जवाब देना अपेक्षित है;
- (छ) दिए गए समय के भीतर कारण बताओ सूचना का जवाब न देने के परिणाम; और
- (ज) कारण बताओ सूचना के निपटान के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया।

(3) कारण बताओ सूचना निम्नलिखित रीति द्वारा तामील किया जाएगा -

- (क) मूल्यांकक या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन को उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर सम्यक पावती सहित रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजकर; या
- (ख) मूल्यांकक या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा प्राधिकरण को दिए गए ई-मेल पते पर एक उचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।

(4) प्राधिकृत अधिकारी न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए कारण सहित आदेश द्वारा कारण बताओ सूचना का निपटान करेगा।

(5) कारण बताओ सूचना के निपटान में आदेश निम्नलिखित उपाबंध कर सकता है -

- (क) कोई कार्यवाई नहीं;
- (ख) चेतावनी; या
- (ग) रजिस्ट्रीकरण या मान्यता को निलंबित या रद्द करना; या
- (घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के किसी एक या अधिक भागीदार या निदेशक या शासी बोर्ड में परिवर्तन।

(6) उप-नियम (5) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की मान्यता को रद्द करने वाले पारित आदेश में समयसीमा उल्लिखित होगी जिसके भीतर इसके सदस्य सुसंगत आस्ति वर्ग के मूल्यांकन हेतु अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्वाग्रह किए बिना किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की सदस्यता ले सकता है।

- (7) उप-नियम (5) के अधीन पारित आदेश संबंधित व्यक्ति को तुरंत जारी किया जाएगा और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- (8) उप-नियम (5) के अधीन पारित आदेश अन्यथा बताए जाने के सिवाय आदेश को जारी करने की तारीख से तीस दिन समाप्त होने तक प्रभावी नहीं होगा।
- (9) निर्णायक प्राधिकारी के आदेश से असमहत कोई व्यक्ति उप-नियम (5) के अधीन प्राधिकरण के समक्ष एक अपील कर सकता है।

*स्पष्टीकरण-* इस नियम के प्रयोजनार्थ, प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी होगा।

### अध्याय V

#### मूल्यांकन मानक

18. **मूल्यांकन मानक** – केंद्रीय सरकार, मूल्यांकन मानक अधिसूचित करेगी और नियम 19 के अधीन गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर संशोधित (समय-समय पर) कर सकती है।

19. **मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने हेतु समिति** – (1) केंद्रीय सरकार, कंपनियों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा अनुपालन के लिए मूल्यांकन मानक और नीति-निर्माण और निर्धारित करने पर सिफारिश करने के लिए "मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने हेतु समिति" के नाम से एक सलाहकार समिति का गठन कर सकती है।

(2) सलाहकार समिति में निम्नलिखित होंगे -

(क) एक अध्यक्ष, जो प्रतिष्ठित और मूल्यांकन, लेखाकारिता, वित्त, व्यवसाय प्रशासन, व्यवसाय विधि, कारपोरेट विधि, अर्थशास्त्र में प्रवीण व्यक्ति होगा;

(ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(ग) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(घ) विधायी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(ङ.) उन प्राधिकरणों से जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा मूल्यांकन की अनुमति देते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकतम चार सदस्य;

(च) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकतम चार सदस्य जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों के प्रतिनिधि हैं;

(छ) उद्योग जगत और अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से नामनिर्दिष्ट अधिकतम दो सदस्य।

(3) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उन्हें दो से अधिक कार्यकाल नहीं दिए जाएंगे।

**अध्याय VI****विविध**

20. **उल्लंघन के लिए दंड** – अन्य किसी दायित्व पर पूर्वाग्रह किए बिना यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा 469 की उपधारा (3) के अनुसार दंडनीय होगा।

21. **मिथ्या कथन के लिए दंड** – यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी रिपोर्ट, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में, जो अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या इन नियमों या इन नियमों के किसी उपबंध के प्रयोजनों द्वारा या उसके लिए अपेक्षित है, ऐसा कोई कथन –

(क) जो किसी तात्विक विशिष्ट में मिथ्या है, यह जानते हुए करता है कि वह मिथ्या है; अथवा

(ख) जिसमें किसी तात्विक तथ्य का लोप किया गया है, यह जानते हुए करता है कि वह तथ्य तात्विक है;

तो वह अधिनियम की धारा 448 के अधीन दंडनीय होगा।

**उपाबंध-1****रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए आदर्श आचार संहिता**

[कृपया नियम 7 का खंड (छ) और नियम 12 के उपनियम (2) का खंड (घ) देखें]

**सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता**

1. एक मूल्यांकक अपने कार्य के संव्यवहार में, अपने ग्राहकों और अन्य मूल्यांककों के साथ सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के उच्च मानक अपनाएगा।
2. एक मूल्यांकक अपने सभी व्यावसायिक संबंधों में ईमानदार, स्पष्ट और निष्कपट होकर अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा।
3. एक मूल्यांकक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि वह सही और पर्याप्त सूचना प्रदान करे और किसी तथ्य या परिस्थितियों का मिथ्या निरूपण न करे।
4. मूल्यांकक कोई ऐसी कार्रवाई में निहित होने से बचेगा जिससे उसके व्यवसाय की बदनामी हो।
5. मूल्यांकक अपनी सेवाएं देते समय लोक हित को सर्वोपरि रखेगा।

**व्यावसायिक दक्षता और उचित देखभाल**

6. एक मूल्यांकक सभी समय उच्च स्तर की सेवा प्रदान करेगा, कर्मठता से कार्य करेगा, उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेगा।
7. एक मूल्यांकक सुसंगत तकनीकी और व्यावसायिक मानकों के अनुसार, जो समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, व्यावसायिक सेवाएं देगा।
8. एक मूल्यांकक सतत व्यावसायिक ज्ञान और कुशलता बनाए रखेगा जिससे व्यवहार में अद्यतन विकास पर आधारित, विद्यमान विनियमनों/मार्गदर्शक सिद्धांतों और तकनीक के आधार पर दक्ष व्यावसायिक सेवा प्रदान कर सके।

9. मूल्यांकन रिपोर्ट की तैयारी में मूल्यांकक अपनी / विशेषज्ञता और देखभाल के कर्तव्य को अस्वीकार नहीं करेगा सिवाय उस सीमा तक इसकी मान्यताएं कंपनी या इसके परीक्षकों या सलाहकारों द्वारा उपलब्ध तथ्यों के विवरणों पर आधारित है या सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है और मूल्यांकक द्वारा सृजित नहीं की गई है।
10. मूल्यांकक अपने ग्राहक के उन निर्देशों का पालन नहीं करेगा जहां वे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और स्वतंत्रता की अपेक्षाओं से असंगत है।
11. मूल्यांकक अपने ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताएगा कि वह कौन सी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है और सेवाएं, जिनके लिए वह अन्य मूल्यांकक या व्यावसायिकों पर निर्भर रहेगा या जिसके लिए ग्राहक अन्य मूल्यांकक के साथ पृथक व्यवस्था कर सकते हैं।

### स्वतंत्रता और हित का प्रकटीकरण

12. मूल्यांकक अपने व्यावसायिक लेनदेन में निष्कपटता से कार्य करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उसके निर्णय बिना किसी पक्षपात, संघर्ष, दबाव या किसी पक्षकार के अनुचित प्रभाव के हैं, चाहे वे मूल्यांकन कार्य से सीधे जुड़े हैं या नहीं।
13. मूल्यांकक कोई कार्य नहीं लेगा यदि वह या उसका कोई संबंधी या सहयोगी कंपनी के साथ सहयोगी की दशा में स्वतंत्र नहीं है।
14. मूल्यांकक अपने व्यावसायिक संबंधों में पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखेगा और बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र होकर मूल्यांकन करेगा।
15. मूल्यांकक, जहां आवश्यक हो, अपने ग्राहकों को बिना पक्षपात की सेवाएं प्रदान करने के समय उसके कर्तव्यों और हितों में संघर्ष के संभावित स्रोतों के बारे में प्रकटन करेगा।
16. मूल्यांकक किसी विषयक कंपनी की प्रतिभूतियों का संव्यवहार नहीं करेगा जब उसे ऐसे किसी समय के बाद जब वह उसके मूल्यांकन हेतु जुड़ाव की संभावना के बारे में ज्ञात होता है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार या जब तक मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक हो, जो भी पहले हो।
17. मूल्यांकक किसी कंपनी या ग्राहक की आवश्यकताएं पूरी करने के क्रम में "आज्ञापक रूप से छीनने" या "सुविधानुसार मूल्यांकन" प्रस्तावित करने में लिप्त नहीं होगा।
18. स्वतंत्र मूल्यांकक के रूप में मूल्यांकक सफलता शुल्क नहीं लेगा।
19. किसी मूल्यांकक द्वारा किसी निष्पक्ष राय या स्वतंत्र विशेषज्ञ राय में यदि किसी असंबंधित संव्यवहार में कोई पूर्व वचनबद्धता है तो मूल्यांकक पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के साथ संबंध का प्रकटन करेगा।

### गोपनीयता

20. एक मूल्यांकक किसी विषयक कंपनी की कोई गोपनीय सूचना का प्रयोग या किसी अन्य ग्राहक को या किसी पक्षकार को प्रकटन नहीं करेगा जो उसकी 'जानकारी के बिना उचित एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकार के आई है' जब तक उसे प्रकट करने का विधिक या व्यावसायिक अधिकार न हो।

### सूचना प्रबंध

21. मूल्यांकक लिए गए किसी सूचना प्रबंधन निर्णय, लिए गए निर्णय के कारणों और ऐसे निर्णय के समर्थन में सूचना और साक्ष्य के लिखित समकालीन रिकार्ड के अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगा। इसका इस प्रकार अनुरक्षण किया जाएगा कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसके निर्णयों और कार्यों की उपयुक्तता देख सके।
22. मूल्यांकक किसी प्राधिकरण द्वारा, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन जिसके साथ वह रजिस्ट्रीकृत है या अन्य सांविधिक नियामक निकाय द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण एवं जांच में प्रस्तुत होगा, सहयोग करेगा और उपस्थित रहेगा।
23. मूल्यांकक प्राधिकरण, अधिकरण, अपीलीय अधिकरण या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन जिसके साथ वह रजिस्ट्रीकृत है या किसी अन्य सांविधिक नियामक निकाय के द्वारा अपेक्षित सभी सूचना और रिकार्ड उपलब्ध कराएगा।
24. मूल्यांकक व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के दौरान प्राप्त सूचना की गोपनीयता को बनाए रखते हुए तीन वर्ष की अवधि या इससे अधिक अवधि के लिए, जो उसकी संविदा में विशिष्ट मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, कार्यकारी कागजात रखेगा जिसे वह

नियामक संगठन या सहकर्मी समीक्षा के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। अधिकरण या अपील प्राधिकरण के सम्मुख लंबित मामलों की दशा में मामले का निपटान होने तक रिकार्ड का अनुरक्षण किया जाएगा।

#### उपहार और सत्कार

25. मूल्यांकक या उसका संबंधी कोई उपहार या सत्कार स्वीकार नहीं करेगा जो मूल्यांकक के रूप में उसको कमजोर करता है या उसकी स्वतंत्रता प्रभावित करता है।

स्पष्टीकरण : इस संहिता के प्रयोजन के लिए 'नातेदार' शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (77) में परिभाषित किया गया है।

26. मूल्यांकक किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को उपहार या सत्कार या वित्तीय प्रस्ताव स्वयं के लिए कार्य प्राप्त करने हेतु/रखने या व्यवसाय के लिए लाभ के लिए स्वयं हेतु प्राप्त करने/रखने हेतु नहीं करेगा।

#### पारिश्रमिक और लागतें

27. मूल्यांकक, पारिश्रमिक के लिए सेवाएं प्रदान करेगा जो कि पारदर्शी तरीके से लिया जाए, कार्य का तार्किक परिणाम हो और उचित रूप से प्रतिबद्ध हो और प्रचलित नियमों के साथ असंगत न हो।
28. मूल्यांकक कोई शुल्क या प्रभार नहीं लेगा, उन के सिवाय जो लिखित संविदा में उस व्यक्ति के साथ प्रकटन किया गया है जिसको वह सेवाएं प्रदान कर रहा है।

#### उपजीविका, रोजगार-क्षमता और निबंधन

29. मूल्यांकक अत्यधिक कार्य स्वीकार करने से बचेगा, यदि वह प्रत्येक कार्य को पर्याप्त समय देने में सक्षम नहीं है।
30. मूल्यांकक ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा जो प्राधिकरण या मूल्यांकक संगठन की राय में व्यवसाय को बदनाम करे।

#### उपाबंध-II

##### प्ररूप-क

(नियम 6 का उप-नियम (1) देखें)

किसी व्यक्ति द्वारा मूल्यांकक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

प्राधिकारी

[पता लिखें]

द्वारा

[नाम और पता]

विषय : मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

महोदय/महोदया

मुझे, (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का नाम लिखें) के साथ सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन निम्नलिखित श्रेणी/श्रेणियों की आस्तियों के मूल्यांकन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ:-

(क) \_\_\_\_\_

(ख) \_\_\_\_\_

मेरा ब्यौरा निम्नानुसार है :

**क. व्यक्तिगत ब्यौरे**

1. उपनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) :
2. नाम :
3. पिता का नाम :
4. माता का नाम :
5. जन्म की तारीख :
6. पैन संख्या :
7. आधार संख्या :
8. पासपोर्ट संख्या :
9. पत्र व्यवहार के लिए पता :
10. स्थाई पता :
11. ई-मेल का पता :
12. मोबाइल नंबर :

**ख. शैक्षणिक, व्यावसायिक और मूल्यांकन परीक्षा अर्हताएं**

**1. शैक्षणिक अर्हताएं**

[कृपया शैक्षणिक अर्हताएं बैचलर डिग्री से शुरू करते हुए लिखें]

शैक्षणिक अर्हताएं	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंक (प्रतिशत)	ग्रेड/श्रेणी	विश्वविद्यालय/ कालेज	टिप्पणी, यदि कोई हो

**2. व्यावसायिक अर्हताएं [जिसमें मूल्यांकन विशिष्ट पाठ्यक्रम शामिल नहीं है]**

व्यावसायिक अर्हताएं [जिसमें मूल्यांकन विशिष्ट शैक्षिक/पाठ्यक्रम	संगठन/व्यावसायिक निकाय/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	सदस्यता संख्या (यदि लागू हो)	नामांकन की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई हो



शामिल हैं]				

3. (क) मूल्यांकन अर्हताएं और उत्तीर्ण की गई मूल्यांकन परीक्षा के ब्यौरे (सभी भागीदारों/निदेशकों के लिए जो पंजीकृत मूल्यांकक हैं)

परीक्षा की तारीख	आस्ति की श्रेणी	प्राप्त अंक	प्रतिशत

3(ख) मूल्यांकन अर्हताएं (सभी भागीदारों/निदेशकों के लिए जो पंजीकृत मूल्यांकक हैं)

मूल्यांकन संबंधी अर्हता/ पाठ्यक्रम	मान्यताप्राप्त मूल्यांकक संगठन		आस्ति की श्रेणी	रजिस्ट्रीकृत संगठन में सदस्यता संख्या	अभ्युक्तियां, यदि हों
	नाम	मान्यता संख्या			

ग. कार्य अनुभव –

1. क्या आप वर्तमान में व्यवसायरत/रोजगार में हैं ? (हां या नहीं)
2. व्यवसाय में या सुसंगत व्यवसाय या मूल्यांकन में कार्य अनुभव के वर्ष (वर्ष और महीनों में),
3. यदि व्यवसायरत हैं, व्यावसायिक पत्रव्यवहार के लिए पता,
4. रोजगार में वर्षों की संख्या (वर्ष और महीने में)
5. अनुभव का विवरण :

क्र.सं.	तारीख से	तारीख तक	रोजगार/व्यवसाय	यदि रोजगार में है, तो नियोक्ता का नाम और पदनाम	यदि व्यवसायरत हैं, तो सुसंगत व्यवसाय/मूल्यांकन में अनुभव	कार्य का क्षेत्र

घ. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

1. कृपया रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का विवरण दें, जिसके आप सदस्य हैं।
2. कृपया अपनी सदस्यता संख्या बताएं

**ड. अतिरिक्त सूचना**

1. क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था ? हां या नहीं

यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें।

2. क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित है। (हां या नहीं)

यदि हां, तो ब्यौरे दें।

3. क्या आपको कभी अमुक्त दिवालिया घोषित किया गया था, या आपने दिवाला के रूप में अधिनिर्णित करने के लिए आवेदन किया था ( हां या नहीं )

यदि हां, तो ब्यौरे दें।

4. कृपया कोई अतिरिक्त सूचना दें जो आपके आवेदन से सुसंगत हो सकती है।

**च. संलग्नक**

1. आवास के प्रमाण की प्रति
2. शैक्षणिक अर्हताओं, व्यावसायिक अर्हताएं और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन परीक्षा अर्हताओं के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां
3. सुसंगत अवधि के दौरान व्यवसाय या कार्य अनुभव दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्रतियां
4. रोजगार की प्रमाणित प्रतियां, सुसंगत नियोक्ताओं द्वारा जिसमें ऐसे रोजगार की अवधि विनिर्दिष्ट हो।
5. पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर विवरणियां
6. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की सदस्यता के प्रमाण की प्रति
7. पासपोर्ट आकार की फोटो
8. पांच हजार रुपये जमा/भुगतान का प्रमाण

**छ. अभिवचन**

1. इस आवेदन प्ररूप के भाग च में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न/अपलोड कर दी गई हैं। संलग्न/अपलोड किए गए दस्तावेज हैं .....

  1. मैं वचन देता हूं कि जब भी कोई अतिरिक्त सूचना मांगी जाएगी उसे प्रस्तुत करूंगा।
  2. मैं कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के अयोग्य नहीं हूं।
  3. यह आवेदन और इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई सूचना सत्य और पूर्ण है। यदि किसी अवस्था में यह मिथ्या या भ्रामक पाई जाए तो मेरा रजिस्ट्रीकरण संक्षेपतः रद्द कर दिया जाएगा।

मैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं, इसके अधीन बनाए गए नियमों, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों उपविधियों रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन जिसके साथ मैं रजिस्ट्रीकृत हूं, द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों या उपविधियों के अनुसरण में पारित संकल्पों का पालन करने का वचन देता हूं।

4. लागू फीस, अदा कर दी गई है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

**रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा सत्यापन**

हमने ..... द्वारा जो हमारे सदस्य हैं तथा इनकी सदस्यता संख्या ..... है, द्वारा प्रस्तुत विवरण सत्यापित कर दिया है, उसे सत्य और सही होने की पुष्टि करते हैं।

हम ..... का मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने की सिफारिश करते हैं।

(नाम और हस्ताक्षर)

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के प्राधिकृत प्रतिनिधि

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की मुहर

स्थान :

तारीख :

**प्ररूप-ख**

(नियम 6 का उपनियम (2) देखें)

**भागीदारी अस्तित्व/कंपनी द्वारा मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

सेवा में,

प्राधिकरण

[पता लिखें]

द्वारा

[नाम और पता]

विषय : मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

**महोदय/महोदया**

मैं, एक भागीदार/निदेशक (जो लागू न हो उसे काट दें), भागीदारी अस्तित्व/कंपनी द्वारा संकल्प/विलेख (जो लागू न हो उसे काट दें) द्वारा इस प्रयोजन के ले सम्यक रूप से प्राधिकृत होने के नाते निम्नलिखित वर्ग (वर्गों) की आस्तियों के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 6 के उपनियम (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए (आवेदक भागीदारी अस्तित्व/कंपनी का नाम और पता) की ओर से और इसके भागीदारों/निदेशकों की ओर से आवेदन करता हूँ:

(क) \_\_\_\_\_

(ख) \_\_\_\_\_

विवरण निम्नानुसार है :

**अ. भागीदारी अस्तित्व/कंपनी के ब्यौरे**

1. नाम :
2. रजिस्ट्रीकरण संख्या/एलएलपी संख्या/सीआईएन संख्या :

3. पैन् संख्या :
4. पत्र व्यवहार पता या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :
5. स्थायी पता :
6. ई-मेल पता :
7. दूरभाष सं.
8. अन्य

आ. प्रत्येक भागीदार/निदेशक का वैयक्तिक के ब्यौरे

उपाधि (श्री/श्रीमती/सुश्री) :

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. माता का नाम :
4. जन्म तिथि :
5. पैन् संख्या :
6. आधार संख्या :
7. पासपोर्ट संख्या :
8. पत्राचार का पता :
9. स्थायी पता :
10. ई-मेल :
11. मोबाइल नंबर :
12. अन्य :

इ. भागीदारों/निदेशकों की शैक्षिक, वृत्तिक और मूल्यांकन परीक्षा की अर्हताएं

1. शैक्षणिक अर्हताएं

[कृपया प्रत्येक भागीदार/निदेशक के संबंध में स्नातक डिग्री से आगे की शैक्षिक अर्हताएं लिखें]

शैक्षिक अर्हता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अंक प्रतिशत	श्रेणी/कक्षा	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय	टिप्पणियां, यदि कोई हो

2. प्रत्येक भागीदार/निदेशक के संबंध में वृत्तिक अर्हताएं

वृत्तिक अर्हताएं शामिल हैं	संगठनन/ वृत्तिक निकाय/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन संगठन	सदस्यता संख्या (यदि लागू हो)	नामांकन की तारीख	टिप्पणियां, यदि कोई हो

3(क) मूल्यांकन अर्हताएं और उत्तीर्ण की गई मूल्यांकन परीक्षा के ब्यौरे (सभी भागीदारों/निदेशकों के लिए जो पंजीकृत मूल्यांकक हैं)

परीक्षा की तारीख	आस्ति की श्रेणी	प्राप्त अंक	प्रतिशत

3(ख) मूल्यांकन अर्हताएं (सभी भागीदारों/निदेशकों के लिए जो पंजीकृत मूल्यांकक हैं)

मूल्यांकन संबंधी अर्हता/ पाठ्यक्रम	मान्यताप्राप्त मूल्यांकक संगठन		आस्ति की श्रेणी	रजिस्ट्रीकृत संगठन में सदस्यता संख्या	अभ्युक्तियां, यदि हों
	नाम	मान्यता संख्या			

#### घ. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांक संगठन

- कृपया रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का ब्यौरे दें जिसके आप सदस्य हैं। कृपया अपनी सदस्यता संख्या बताएं।
- कृपया रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का विवरण दें जिसके आपके भागीदार सदस्य है। कृपया अपना सदस्यता संख्या भी लिखें।

#### ड. अतिरिक्त सूचना

1. क्या आपको या आपके भागीदारों/निदेशकों को कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था ? (हां या नहीं)  
यदि हां, कृपया विवरण दें।

2. क्या आपके या आपके भागीदारों/निदेशकों के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही लंबित है।  
(हां या नहीं)

यदि हां, कृपया विवरण दें।

3. क्या आपको या आपके भागीदारों/निदेशकों को कभी अमुक्त दिवालिया घोषित किया गया था, या आपने दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया था ( हां / नहीं )

यदि हां, तो ब्यौरे दें।

4. कृपया कोई अतिरिक्त सूचना दें जो आपके आवेदन से सुसंगत हो।

#### च. संलग्नक

1. आवास के सबूत की प्रति और इनके भागीदार/निदेशक
2. भागीदारों/निदेशकों की शैक्षिक अर्हताएं, वृत्तिक अर्हता और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन परीक्षा अर्हताओं के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां
3. पिछले तीन वर्षों के लिए वित्तीय विवरण/आयकर विवरणियां विनिर्दिष्ट हो।
4. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की सदस्यता के प्रमाण की प्रति
5. पासपोर्ट आकार की फोटो
6. दस हजार रुपये जमा/भुगतान का प्रमाण 'निक्षेप का साक्ष्य/दस हजार रुपए संदाय'

#### छ. प्रतिज्ञान

1. इस आवेदन प्ररूप के भाग च में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न/अपलोड कर दी गई हैं। दस्तावेज जो संलग्न/अपलोड किए गए हैं वे हैं ..... में जब भी कोई अतिरिक्त सूचना मांगी जाएगी उसे प्रस्तुत करने का वचनबंध देता हूं
2. मैं, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने से निरहृत नहीं किया गया हूं।
3. यह आवेदन और इस आवेदन साथ प्रस्तुत की गई सूचना सत्य एवं पूर्ण है। यदि किसी अवस्था में यह मिथ्या या भ्रामक पाई जाए तो मेरा रजिस्ट्रीकरण संक्षेपतः रद्द किया जा सकता है।
4. मैं, (भागीदारी अस्तित्व/कंपनी और इसके भागीदार/निदेशक) कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं, इसके अधीन बनाए गए नियमों, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन जिसके साथ मैं रजिस्ट्रीकृत हूँ, की उपविधियों, जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों या उपविधियों के अनुसरण में पारित संकल्पों का पालन करने का वचनबंध देता हूँ।
5. लागू फीस, संदत्त कर दी गई है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा सत्यापन

हमने ..... द्वारा जो हमारे सदस्य हैं तथा इनकी सदस्यता संख्या ..... है, द्वारा प्रस्तुत विवरण सत्यापित कर दिया है, उसे सत्य एवं सही होने की पुष्टि करते हैं।

हम ..... का मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने की सिफारिश करते हैं। (नाम और हस्ताक्षर)  
 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के प्राधिकृत प्रतिनिधि  
 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की मुहरबंद

स्थान :

तारीख :

**प्ररूप-ग**

**(नियम 6 का उपनियम (6) देखें)**

**रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र**

**मूल्यांकक रजिस्ट्रीकरण संख्या –**

1. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 6 के उपनियम (6) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकारी, इन नियमों के अनुसार (आस्ति वर्ग लिखें) की बाबत मूल्यांकक के रूप में कार्य करने के लिए (नाम भरें) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं।
2. यह प्रमाण पत्र (प्रारंभ तिथि लिखें) से विधिमान्य होगा।

नाम और पदनाम

प्राधिकारी के लिए और उनकी ओर से

स्थान :

तारीख :

**परिशिष्ट**

**प्ररूप-घ**

**(नियम 13 का उपनियम (1) देखें)**

**मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन**

सेवा में,

प्राधिकारी

[पता लिखें]

द्वारा

[नाम और पता]

विषय : रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन

महोदय/महोदया,

1. मैं [आवेदक का नाम और पता] सम्यक रूप से इस निमित्त प्राधिकृत होने के कारण निम्नलिखित श्रेणियों की आस्तियों के संबंध में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता हूँ।

(क) \_\_\_\_\_

(ख) \_\_\_\_\_

और साथ में बोर्ड के संकल्प की प्रति संलग्न करता हूँ जिसमें मुझे यह आवेदन करने और बोर्ड से इस संबंध में पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

2. संगम अनुच्छेद, संगम ज्ञापन, न्यास विलेख, उप विधियां और आचार संहिता, जैसा लागू है, की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न हैं।

3. मैं [नाम लिखें] की ओर से अभिपुष्ट करता हूँ कि आवेदक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के उपयुक्त उल्लिखित वर्ग की आस्तियों के लिए मान्यता हेतु अर्हक है।

4. मैं (नाम लिखें) की ओर से अभिपुष्ट करता हूँ, कि -

(क) इस आवेदन में दी गई सभी सूचनाएं हर प्रकार से सत्य और सही हैं।

(ख) इस आवेदन इस प्रयोजन के लिए कोई सुसंगत महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया नहीं गया है, और

(ग) इस आवेदन के अनुसरण में प्रदान की गई मान्यता को संक्षेपतः रद्द किया जा सकता है यदि प्रस्तुत की गई सूचना को किसी व्यवस्था में मिथ्या या महत्वपूर्ण रूप से भ्रामक पाया जाता है।

5. यदि मान्यता प्रदान की जाती है, मैं (नाम लिखें) की ओर से अधिनियम, नियमों, निदेशों या प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं का पालन करने और ऐसी अन्य शर्तों एवं निबंधों जैसा मान्यता प्रमाण पत्र में दी गई है या बोर्ड द्वारा पश्चातवर्ती विनिर्दिष्ट या लगाई गई हो जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को आवश्यक अवधि में परिवर्तित करने की अपेक्षा, यदि वह लागू है, के अनुपालन का वचनबंध देता हूँ।

आपका

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

स्थान :

तारीख :



**प्ररूप-घ का परिशिष्ट****भाग-1****साधारण**

1. आवेदक का नाम
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान
3. कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/पैन/अन्य पहचान संख्या
4. इस आवेदन को करने तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और सम्पर्क विवरण

**भाग-2****संरचना और शासन**

1. कृपया आवेदक का संक्षिप्त ब्यौरे दें
  - (i) स्थापना का प्रकार
  - (ii) स्वामित्व संरचना
  - (iii) शासन संरचना

**भाग 3****सदस्यता और परीक्षा**

1. कृपया संक्षिप्त ब्यौरे दें
  - (i) सदस्यों की संख्या जो मूल्यांकक के रूप में व्यवसाय करते हैं और आवेदक के साथ में पहले ही रजिस्ट्रीकृत हैं।
  - (ii) विनिर्दिष्ट शाखा (नियम 4 के संबंध में) :
  - (iii) अन्य मानदंड अर्हताएं और आवेदक के साथ रजिस्ट्रीकरण की रीति

**टिप्पण :** यदि (i) के बदले में नियम 12 के उपनियम (i) के खंड (ii) में निर्दिष्ट संगठन सूचना प्रदान कर रहे हैं, तो वे सदस्यों का संक्षिप्त विवरण प्रदान कर सकते हैं जिन्होंने संगठन द्वारा संचालित मूल्यांकन विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है।

2. कृपया आवेदक के साथ सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण के लिए संचालित किसी परीक्षा के संक्षिप्त ब्यौरे दें।
3. कृपया आवेदक के सदस्यों की लगातार शैक्षिक अपेक्षाओं के संक्षिप्त ब्यौरे दें।

**भाग 4****आचार संहिता**

1. कृपया उल्लेख करें यदि आवेदक की आचार संहिता कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकक) नियम 2017 के अनुपालन में है।

2. कृपया विनिर्दिष्ट करें कि आचार संहिता के उपबंधों की खंड संख्या जो कि कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन) नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट आदर्श आचार संहिता के उपबंधों के अतिरिक्त है (यदि कोई हो)

### भाग 5

#### निगरानी और अनुशासन

1. कृपया आवेदक द्वारा इसके सदस्यों की निगरानी हेतु नियोजित तंत्र का ब्यौरा दें।
2. कृपया सदस्यों और स्वयं के विरुद्ध शिकायतों के समाधान हेतु नियोजित तंत्र का विवरण दें।
3. कृपया आवेदक द्वारा नियोजित अनुशासनिक तंत्र का विवरण दें।

कृपया कोई अन्य ब्यौरा, जो आवेदन के समर्थन में सुसंगत समझा जाए, प्रदान करें।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

तारीख :

स्थान :

#### उपाबंध-2

प्ररूप-ड.

(नियम 13 का उप-नियम (5) देखें)

#### मान्यता का प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन मान्यता संख्या –

1. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 13 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकरण एतद्वारा (नाम लिखें) को [आस्तियों की श्रेणी (श्रेणियां) लिखें] के मूल्यांकन के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

#### मान्यता की शर्तें

2. [नाम लिखें] सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करेगी जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:
3. नियम 14 में अधिकथित शर्तें [पूरा ब्यौरा दें]
4. यह मान्यता प्रमाण पत्र [प्रारंभ की तारीख लिखें] से विधिमान्य होगा। (नाम और पदनाम)  
प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से

स्थान:

तारीख:

**उपाबंध-3****(नियम 12 का उप-नियम (3) और नियम 14 के उप-नियम (1) के खंड (छ) और (ज) देखें)****रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए शासन संरचना और आदर्श उपविधियां****भाग-I****1. शासन संरचना**

कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता के लिए तभी पात्र होगा जब कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत शेयरपूंजी वाली एक कंपनी हो, और –

- (क) इसका एक मात्र उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में कार्य करना हो;
- (ख) यह कंपनी भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के नियंत्रणाधीन न हो;
- (ग) इसकी उनचास प्रतिशत से अधिक शेयरपूंजी भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित न हो; और
- (घ) यह किसी कारपोरेट निकाय की एक से अधिक स्तर के माध्यम से समनुषंगी कंपनी न हो:

स्पष्टीकरण: किसी कारपोरेट निकाय के संबंध में “स्तर” से इसकी समनुषंगी अभिप्रेत है:

(ड.) वह कंपनी, इसके संप्रवर्तक, इसके निदेशक और इसकी दस प्रतिशत से अधिक शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्ति ठीक और उपयुक्त व्यक्ति हों।

**2. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की उप-विधियां होना**

- (1) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ-साथ अपनी उपविधियां प्रस्तुत करेगी।
- (2) इन उपविधियों में भाग-2 में आदर्श उपविधियों में विनिर्दिष्ट सभी मामलों के लिए उपबंध होगा।
- (3) ये उपविधियां सदैव आदर्श उपविधियों के अनुरूप होंगी।
- (4) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन अपनी उपविधियां, गठित की गई सभी समितियों की संरचना और इन उपविधियों के अधीन तैयार सभी नीतियां अपनी वेबसाइट पर रखेगी।

**3. उपविधियों में संशोधन**

- (1) शासी बोर्ड निदेशकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध दिए गए मत, यदि हों, की संख्या के कम से कम तीन गुणा मत संकल्प के पक्ष में दिए जाने के अधीन उपविधियों में संशोधन कर सकता है।
- (2) उपविधि (1) के अनुसार पारित कोई संकल्प बोर्ड को इसके पारित होने की तारीख से सात दिन के अंदर अनुमोदन के लिए फाइल किया जाएगा।

- (3) उप विधियों के संशोधन अनुमोदन मिलने की तारीख के सातवें दिन से प्रवृत्त होंगे जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।
- (4) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ऐसे संशोधन प्रभावी होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर प्राधिकरण को संशोधित उपविधियों की एक मुद्रित प्रतिलिपि फाइल करेगी।

#### 4. शासी बोर्ड की संरचना

- (1) शासी बोर्ड में न्यूनतम ..... (संख्या लिखें) निदेशक होंगे।
- (2) आधे से अधिक निदेशक नियुक्ति के समय और निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में रहने वाले व्यक्ति होंगे।
- (3) अधिक से अधिक एक-चौथाई निदेशक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक होंगे।
- (4) आधे से अधिक निदेशक नियुक्ति के समय और निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र निदेशक होंगे:

परंतु कि शासी बोर्ड की कोई भी बैठक कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के बिना आयोजित नहीं की जाएगी।

- (5) स्वतंत्र निदेशक वह व्यक्ति होगा –

- (क) जिसे वित्त, विधि, प्रबंधन या मूल्यांकन के क्षेत्र सुविज्ञता प्राप्त है;
  - (ख) जो एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नहीं है;
  - (ग) जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का शेयरधारक नहीं है; और
  - (घ) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन अपेक्षाएं पूरी करता है।
- (6) निदेशक किसी स्वतंत्र निदेशक को शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयन करेंगे।

स्पष्टीकरण: उपविधियों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित में अंतर्विष्ट कोई संख्या –

- (क) 'आधे से अधिक' को अगली उच्चतर संख्या तक पूर्ण किया जाएगा; और
- (ख) 'अनधिक एक-चौथाई' को अगली न्यूनतर संख्या तक पूर्ण किया जाएगा।

#### भाग-2

#### रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की आदर्श उप-विधियां

##### I. साधारण

1. रजिस्ट्रीकरण मूल्यांकक संगठन का नाम “\_\_\_\_\_” (जिसे इसके पश्चात् 'संगठन' कहा गया है) है।

2. यह 'संगठन' कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय \_\_\_\_\_ (पूरा पता लिखें) है।
3. इन उपविधियों में संशोधन नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह इस उपाबंध के अनुसार न हो।

## II. परिभाषाएं

4. (1) इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "सदस्यता का प्रमाण पत्र" से उपविधि 10 के अधीन प्रदान किए गए संगठन की सदस्यता के प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है;
- (ख) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) से अभिप्रेत है;
- (ग) "शासी बोर्ड" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (10) के अधीन यथापरिभाषित संगठन के निदेशक बोर्ड या बोर्ड से अभिप्रेत है;
- (घ) "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (77) में दिया गया है;

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उपविधियों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में दिए गए हैं।

## III. उद्देश्य

5. (1) यह संगठन कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के कार्य और उससे जुड़े हुए कार्यों का निर्वहन करेगी।

(2) यह संगठन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा अन्य कोई कार्य या उससे असंगत कोई कार्य नहीं करेगी।

## IV. संगठन के कर्तव्य

- (6) (1) यह संगठन अपने सदस्यों के नियमन में उच्च नैतिक और वृत्तिक मानकों का अनुपालन करेगी।

- (2) यह संगठन -

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के आचरण को शासित करने के लिए इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;
- (ख) अपने सदस्यों के नामांकन और नियमन के लिए निष्पक्ष, तर्कसंगत, न्यायोचित और गैर पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को लागू करेगा;
- (ग) सभी उपविधियों और अपने सदस्यों को जारी किए गए निर्देशों के संबंध में प्राधिकरण प्रति के उत्तरदायी होगा।
- (घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के वृत्तिक का विकास करेगा;
- (ङ) अपने सदस्यों के निरंतर व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देगा;

- (च) अपने आंतरिक विनियम और दिशानिर्देशों में निरंतर सुधार करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके सदस्यों द्वारा वृत्तिक के उच्च मानकों और नैतिक आचरण का पालन किया जाता है; और
- (छ) अपने कार्यकलापों की सूचना प्राधिकरण को देगा।

## V. संगठन की समितियां

### सदस्यों की सलाहकार समिति

7. (1) शासी बोर्ड संगठन के सदस्यों की एक सलाहकार समिति का गठन करेगा जो निम्नलिखित से संबंधित किसी मामले पर सलाह देगी –

- (क) व्यवसाय का विकास;
- (ख) व्यवसाय के मानक और नैतिक आचरण; और
- (ग) मूल्यांकन के संबंध में सर्वोत्तम व्यवहार।

(2) सलाहकार समिति की बैठक ऐसे स्थानों और समय पर की जाएगी जैसा कि शासी बोर्ड व्यवस्था करे।

### संगठन की अन्य समितियां

8. (1) शासी बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा –

- (क) एक या अधिक सदस्यता समिति (समितियां) जिसमें उतने सदस्य होंगे जैसा कि उचित समझा जाए;
- (ख) उचित समझे जाने वाले सदस्यों के साथ एक मानीटरी समिति;
- (ग) एक या अधिक शिकायत समाधान समिति (समितियां) जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे;
- (घ) एक या अधिक अनुशासनिक समिति (समितियां) जिसमें प्राधिकरण द्वारा नामित कम से कम एक सदस्य होगा।

(2) इन समितियों में प्रत्येक का अध्यक्ष संगठन का स्वतंत्र निदेशक होगा।

## VI. सदस्यता

### नामांकन के लिए पात्रता

9. सदस्य के रूप में ऐसा कोई व्यक्ति नामांकित नहीं किया जाएगा जो प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का पात्र नहीं है:

परंतु कि शासी बोर्ड नामांकन के लिए अतिरिक्त पात्रता अपेक्षाओं का उपबंध कर सकता है:

परंतु यह और कि ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाओं में धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान या व्यवसायिक संबंध के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा।

### सदस्य के रूप में नामांकन करने की प्रक्रिया

10. (1) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नामांकन के लिए ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति और ऐसी फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) संगठन नियमों, विनियमों और इसके अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन की जांच करेगी।

(3) आवेदन की जांच करने पर यह संगठन आवेदक को आवेदन में त्रुटियां, यदि हों, को दूर करने का अवसर देगी।

(4) यह संगठन आवेदक को अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण जैसा कि वह उपयुक्त समझे, एक तर्कसंगत समय में प्रस्तुत करने को कह सकती है।

(5) यदि कोई आवेदक नामांकन के मानदंड पूरे नहीं करता या त्रुटियां दूर नहीं करता या संगठन द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत नहीं करता तो संगठन लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

(6) आवेदन अस्वीकृत करने की सूचना आवेदक को अस्वीकृति के कारणों के साथ आवेदन प्राप्ति के तीस दिन के अंदर दी जाएगी जिसमें त्रुटियों को दूर करने या संगठन को अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण देने, जैसा भी मामला हो, के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

(7) आवेदन की स्वीकृति की सूचना आवेदक को सदस्यता प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी।

(8) आवेदन अस्वीकृत होने के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक निर्णय प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर संगठन की सदस्यता समिति को अपील कर सकता है।

(9) सदस्यता समिति अपील की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर अपील का निपटान करने का आदेश ऐसी रीति में पारित करेगी, जैसा कि वह उचित समझे।

### सदस्यता शुल्क

11. संगठन अपने सदस्यों को वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में एक नियत धनराशि का भुगतान करने को कह सकती है।

### सदस्यों का रजिस्टर

12. (1) यह संगठन अपने व्यवसायिक सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी –

(क) नाम;

- (ख) पहचान का प्रमाण;
- (ग) संपर्क ब्यौरे;
- (घ) पता;
- (ङ) नामांकन की तारीख और सदस्यता संख्या;
- (च) बोर्ड में पंजीकरण की तारीख और पंजीकरण संख्या;
- (छ) संगठन में उसके विरुद्ध लंबित शिकायतों का विवरण;
- (ज) संगठन में उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही के ब्यौरे; और
- (झ) संगठन या संगठन की अनुशासनिक समिति द्वारा उसके विरुद्ध पारित आदेशों के ब्यौरे।

(2) सदस्य से संबंधित रिकार्ड निरीक्षण के लिए निम्नलिखित को उपलब्ध कराए जाएँगे-

- (क) प्राधिकरण
- (ख) कोई अन्य व्यक्ति जिसने ऐसे निरीक्षण के लिए सदस्य की सहमति ली हो।

#### VII. सदस्यों के कर्तव्य

13. (1) कोई सदस्य अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए -

- (क) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सदभाव से कार्य करेगा;
- (ख) अपने कार्यों का निर्वहन अत्यधिक सत्यनिष्ठा और स्पष्ट रूप से करेगा;
- (ग) स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगा;
- (घ) अपने कार्यों का निर्वहन व्यवसायिक क्षमता और व्यवसायिक मूल्यों के उच्चतम मानकों के अनुसार करेगा;
- (ङ) अपनी व्यावसायिक सुविज्ञता का निरंतर विकास करेगा;
- (च) अपने कार्यों के निष्पादन में लागू कानूनों का अनुपालन करेगा; और
- (छ) अपने व्यवसायिक कार्यकलापों के दौरान प्राप्त सूचना की विश्वसनीयता बनाए रखेगा जब तक कि यह सूचना प्रकट करना कानून द्वारा अपेक्षित न हो।

14. संगठन की एक आचरण संहिता होगी जो उपाबंध-1 में यथाविनिर्दिष्ट आचरण संहिता के सभी विषयों के अनुरूप होगी और उनका उपबंध करेगी।

#### VIII. सदस्यों की मानीटरी

15. संगठन अपने सदस्यों के व्यावसायिक कार्यकलापों और आचरण की इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और उनके अधीन जारी दिशानिर्देशों, इन उपविधियों, शासी बोर्ड की आचरण संहिता तथा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की मानीटरी करने के लिए एक मानीटरी नीति बनाएगी।



16. सदस्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में अपने चालू और समाप्त किए गए कार्यों सहित सूचना संगठन द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्रपत्र में वर्ष में कम से कम दो बार प्रस्तुत करेगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन कार्य सौंपने की तारीख, पूर्ति की तारीख और संदर्भ संख्या तथा मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल होगी।

17. मानीटरी समिति सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना और रिकार्डों की मानीटरी नीति के अनुसरण में समीक्षा करेगी।

18. मानीटरी नीति में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जाएगा –

- (क) मानीटरी की अवधि;
- (ख) सदस्यों द्वारा निरीक्षण सहित सूचना और रिकार्ड प्रस्तुत करने और एकत्र करने की रीति और प्रपत्र;
- (ग) सदस्यों की मानीटरी नीति का अनुपालन करने की बाध्यताएं;
- (घ) सूचना और रिकार्डों का प्रयोग, विश्लेषण और भंडारण;
- (ङ) सदस्यों के निष्पादन के मूल्यांकन; और
- (च) शासी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई विषय।

19. मानीटरी नीति में –

- (क) सदस्यों की निजता का पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा;
- (ख) प्राप्त सूचना की विश्वसनीयता का प्रावधान होगा, जब तक कि सूचना को प्रकट करना प्राधिकरण या कानून द्वारा अपेक्षित न हो, और
- (ग) पक्षपात नहीं किया जाएगा।

20. यह संगठन मानीटरी के दौरान एकत्र सूचना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होगी-

- (क) इस अधिनियम/इन नियमों के अधीन की गई नियुक्तियों के व्यौरे;
- (ख) नियुक्ति की अवधि के दौरान पक्षकारों के साथ किए गए संब्यवहार;
- (ग) नियुक्ति की अवधि के दौरान तृतीय पक्ष के साथ किए गए संब्यवहार; और
- (घ) प्रत्येक नियुक्ति का निष्कर्ष।

## IX. शिकायत समाधान तंत्र

21. (1) संगठन की एक शिकायत समाधान नीति होगी जिसमें संगठन के विरुद्ध या संगठन के किसी सदस्य द्वारा शिकायत प्राप्त करने, उस पर कार्रवाई, समाधान करने तथा प्रकटीकरण करने की प्रक्रिया दी जाएगी –

- (क) संगठन के किसी सदस्य को;
- (ख) किसी व्यक्ति को जिसने संगठन के संबंधित सदस्य की सेवा ली है; या
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को, जैसा कि शासी बोर्ड द्वारा उपबंध किया जाए।

(2) शिकायत समाधान समिति, शिकायत की जांच के पश्चात् –

- (क) यदि उपयुक्त न समझे तो शिकायत को अस्वीकार करेगी; या
- (ख) शिकायत के समाधान के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता शुरू करेगी।
- (3) जहां कहीं अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित हो, शिकायत समाधान समिति मामले को अनुशासनिक समिति को भेजेगी।
22. शिकायत समाधान नीति में निम्नलिखित के लिए उपबंध होगा –
- (क) शिकायत फाइल करने का प्रपत्र और रीति;
- (ख) शिकायत की प्राप्ति की पावती के लिए अधिकतम समय और प्रपत्र;
- (ग) नामंजूर करने, अनुशासनिक समिति को भेजने या मध्यस्थता प्रारंभ करने के माध्यम से शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय;
- (घ) मध्यस्थता तंत्र के ब्यौरे;
- (ङ) शिकायत नामंजूर होने या समाधान होने पर शिकायत से संबंधित पक्षों को शिकायत और मध्यस्थता कार्रवाई की रिपोर्ट के लिए उपबंध;
- (च) द्वेषपूर्ण या मिथ्या शिकायतों के मामले में की जाने वाली कार्रवाई;
- (छ) की गई शिकायतों और उनके समाधान का रजिस्टर रखना; और
- (ज) शिकायत समाधान तंत्र की आवधिक पुनरीक्षण।

#### X. अनुशासनिक कार्यवाही

23. संगठन सदस्यों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करके अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर सकती है –
- (क) शिकायत समाधान समिति द्वारा किए गए संदर्भ के आधार पर;
- (ख) सदस्यों की मानीटरी के आधार पर;
- (ग) प्राधिकरण द्वारा या अन्य किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में; या
- (घ) स्वतः प्राप्त किसी सूचना के आधार पर।
24. (1) संगठन की एक अनुशासनिक नीति होगी जिसमें निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जाएगा-
- (क) रीति जिसमें अनुशासनिक समिति तथ्यों का पता लगा सकती है;
- (ख) तथ्यों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करना;
- (ग) कारण बताओ नोटिस का एक न्यायाचित आदेश द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए निपटान करना;
- (घ) कारण बताओ नोटिस के निपटान के विभिन्न स्तरों के लिए समय सीमा; और
- (ङ) कार्यवाही के पक्षों के अधिकार और दायित्व।
- (2) अनुशासनिक समिति द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –
- (क) सदस्य की बर्खास्तगी;
- (ख) कुछ समय के लिए सदस्य को निलंबित करना;

- (ग) सदस्य को चेतावनी देना;
- (घ) वित्तीय शास्ति लगाना;
- (ङ) मामले को प्राधिकरण के पास भेजना, जिसमें समुचित मामलों में वापसी की राशि या प्रतिकर की सिफारिश करना शामिल है जिसका प्रवर्तन बोर्ड द्वारा किया जा सकता है; और
- (च) लागत से संबंधित निर्देश।

(3) अनुशासनिक समिति किसी सदस्य के निष्कासन का आदेश पारित कर सकती है यदि वह पाती है कि उस सदस्य ने किया है –

- (क) तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत कोई अपराध जो छह महीने से अधिक कारावास के साथ दंडनीय है या नैतिक भ्रष्टता का अपराध;
- (ख) अधिनियम, नियमों, विनियमों और उनके अधीन जारी दिशानिर्देशों, उपविधियों या शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का गंभीर उल्लंघन जिसके कारण उसे रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में कार्य जारी रखने के लिए सही और उपयुक्त व्यक्ति नहीं माना जा सकता।

(4) अनुशासनिक समिति द्वारा पारित आदेश उक्त आदेश पारित करने की तारीख से सात दिन के अंदर संगठन की वेबसाइट पर रखा जाएगा और प्रत्येक की प्रतिलिपि कार्यवाही के प्रत्येक पक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) अनुशासनिक समिति के आदेशों के अधीन संगठन द्वारा प्राप्त वित्तीय शास्ति का प्रयोग व्यावसायिक विकास के लिए किया जाएगा।

25. (1) शासी बोर्ड संगठन के एक स्वतंत्र निदेशक, कानून के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक सदस्य और बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य के साथ अपील पैनल का गठन करेगा।

(2) अनुशासनिक समिति के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति अंतिम आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के अंदर अपील पैनल का समक्ष अपील कर सकता है।

(3) अपील पैनल उस अपील की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर उसका निपटान ऐसी रीति में करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

## XI. सदस्यता अभ्यर्पण और सदस्यता से निष्कासन

### सदस्यता का अस्थायी अभ्यर्पण

26. (1) कोई सदस्य संगठन की अपनी सदस्यता के अस्थायी अभ्यर्पण के लिए कम से कम तीस दिन पहले आवेदन करेगा –

- (क) यदि वह भारत में रहने वाले व्यक्ति न रहे;
- (ख) वह रोजगार लेता है; या
- (ग) आचरण संहिता के अधीन विशेष रूप से अनुमति को छोड़कर कोई व्यवसाय प्रारंभ करे;

और ऐसे अस्थायी अभ्यर्पण की स्वीकृत पर तथा अस्थायी अभ्यर्पण के लिए आवेदन की तारीख से तीस दिन पूरे होने पर, सदस्य का नाम संगठन के रजिस्टर से अस्थायी रूप से काट दिया जाएगा और इसकी सूचना बोर्ड की दी जाएगी।

(2) संगठन की सदस्यता से अस्थायी अभ्यर्पण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि –

- (क) संगठन या प्राधिकरण के समक्ष सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है और उसमें उस कार्रवाई में सहयोग देने के वचन नहीं दिया है; या
- (ख) सदस्य को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किया गया है और किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति के लिए यह प्रक्रिया हानिकारक है।

(3) कोई सदस्य, यदि उप खंड (1) में उपबंध के अनुसार अस्थायी अभ्यर्पण की शर्तें लागू न रहें, तो अपने अस्थायी अभ्यर्पण को पुनरुज्जीवित करने का आवेदन कर सकता है और पुनरुज्जीवन के लिए आवेदन स्वीकार होने पर सदस्य का नाम संगठन के रजिस्टर में दोबारा जोड़ा जाएगा और इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी।

### सदस्यता का अभ्यर्पण

27. (1) कोई सदस्य जो संगठन की अपनी सदस्यता अभ्यर्पण चाहता है, अपनी सदस्यता के अभ्यर्पण के लिए आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा कर सकता है।

(2) सदस्यता के अभ्यर्पण की स्वीकृति होने पर और स्वीकृति की तारीख से तीस दिन पूरे होने पर, सदस्य का नाम संगठन के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी।

28. किसी सदस्य द्वारा सदस्यता का अभ्यर्पण करने के समय देय किसी शुल्क का भुगतान संगठन के रजिस्टर से नाम काटने से पहले किया जाएगा।

29. संगठन किसी सदस्य द्वारा सदस्यता के अभ्यर्पण को स्वीकार करने से इंकार कर सकती है यदि –

- (क) संगठन या प्राधिकरण के समक्ष सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है और उसने उस कार्रवाई में सहयोग देने का वचन नहीं दिया है; या
- (ख) सदस्य को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किया गया है और किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति के लिए यह प्रक्रिया हानिकारक है।

### सदस्यता से निष्कासन

30. कोई सदस्य संगठन द्वारा –

- (क) यदि वह उप विधि 9 के अधीन नामांकित किए जाने के लिए अपात्र हो जाता है;
  - (ख) अनुशासनिक समिति के आदेश की तारीख से तीस दिन समाप्त होने पर, जब तक कि इसे अपील पैनल द्वारा अलग या स्थगित न रखा गया हो;
  - (ग) लिखित में दिए गए कम से कम दो नोटिस के बाद भी सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने पर;
  - (घ) प्राधिकरण द्वारा उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए जाने पर;
  - (ङ) किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में।
- निष्कासित किया जाएगा।

## उपाबंध-IV

## विनिर्दिष्ट विषयों में अपेक्षित अर्हता/अनुभव का निर्देशात्मक मैट्रिक्स

## [स्पष्टीकरण II के नियम 4 देखें]

आस्ति की श्रेणी	विनिर्दिष्ट विषय में शैक्षिक अर्हता		विनिर्दिष्ट विषय में अनुभव	मूल्यांकन से संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रम
	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर		
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
भूमि एवं भवन	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी, वास्तुक या नगर आयोजना में स्नातक	----	स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद विषय में पांच वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
	(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी, वास्तुक या नगर आयोजना में स्नातक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी, वास्तुक या नगर आयोजना में स्नातक	स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद विषय में तीन वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
	(ग) प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए विनिर्दिष्ट विषय में स्नातक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूमि और भवन या स्थावर संपदा के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद विषय में पांच वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
	प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए यथाविनिर्दिष्ट नियम 4 के अनुसार अन्य कोई स्नातक स्तर की अर्हता	प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए यथाविनिर्दिष्ट नियम 4 के अनुसार अन्य कोई स्नातक स्तर की अर्हता	स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
संयंत्र और मशीनरी	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक	----	स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद विषय में पांच वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
	(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद विषय में तीन वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
	(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी और संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने के बाद विषय में तीन वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
	प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए यथाविनिर्दिष्ट नियम 4 के अनुसार अन्य कोई स्नातक स्तर की अर्हता	प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए यथाविनिर्दिष्ट नियम 4 के अनुसार अन्य कोई स्नातक स्तर की अर्हता	स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
प्रतिभूति या वित्तीय	किसी भी विषय में स्नातक	(1) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठन या भारतीय लागत	स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद विषय में तीन	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के

आस्तियां		लेखाकार संगठनन या भारतीय कंपनी सचिव संगठनन का सदस्य; या (2) वित्त में विशेषज्ञता के साथ एमबीए/पीजीडीबीएम; या (3) वित्त में स्नातकोत्तर डिग्री।	वर्ष का अनुभव	अनुसार पाठ्यक्रम
	प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए यथाविनिर्दिष्ट नियम 4 के अनुसार अन्य कोई स्नातक स्तर की अर्हता	प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए यथाविनिर्दिष्ट नियम 4 के अनुसार अन्य कोई स्नातक स्तर की अर्हता	स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष का अनुभव	नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम
प्राधिकरण द्वारा इसकी मान्यता शर्तों में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के लिए यथाविनिर्दिष्ट नियम 4 के अनुसरण में सदृश अर्हताओं और अनुभव के साथ-साथ अन्य कोई आस्ति श्रेणी				

[फा.सं.1/27/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**New Delhi, the 18<sup>th</sup> October, 2017

**G.S.R 1316(E).**— In exercise of the powers conferred by section 247 read with sections 458, 459 and 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**CHAPTER I  
PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires —
  - (a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
  - (b) “authority” means an authority specified by the Central Government under section 458 of the Companies Act, 2013 to perform the functions under these rules;
  - (c) “asset class” means a distinct group of assets, such as land and building, machinery and equipment, displaying similar characteristics, that can be classified and requires separate set of valuers for valuation;
  - (d) “certificate of recognition” means the certificate of recognition granted to a registered valuers organisation under sub-rule (5) of rule 13 and the term “recognition” shall be construed accordingly;
  - (e) “certificate of registration” means the certificate of registration granted to a valuer under sub-rule (6) of rule 6 and the term “registration” shall be construed accordingly;

- (f) “partnership entity” means a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) or a limited liability partnership registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);
- (g) “Annexure” means an annexure to these rules;
- (h) “registered valuers organisation” means a registered valuers organisation recognised under sub-rule (5) of rule 13;
- (i) “valuation standards” means the standards on valuation referred to in rule 18; and
- (j) “valuer” means a person registered with the authority in accordance with these rules and the term “registered valuer” shall be construed accordingly.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

## CHAPTER II

### ELIGIBILITY, QUALIFICATIONS AND REGISTRATION OF VALUERS

**3. Eligibility for registered valuers.—** (1) A person shall be eligible to be a registered valuer if he-

- (a) is a valuer member of a registered valuers organisation;

*Explanation.—* For the purposes of this clause, “a valuer member” is a member of a registered valuers organisation who possesses the requisite educational qualifications and experience for being registered as a valuer;

- (b) is recommended by the registered valuers organisation of which he is a valuer member for registration as a valuer;
- (c) has passed the valuation examination under rule 5 within three years preceding the date of making an application for registration under rule 6;
- (d) possesses the qualifications and experience as specified in rule 4;
- (e) is not a minor;
- (f) has not been declared to be of unsound mind;
- (g) is not an undischarged bankrupt, or has not applied to be adjudicated as a bankrupt;
- (h) is a person resident in India;

*Explanation.—* For the purposes of these rules ‘person resident in India’ shall have the same meaning as defined in clause (v) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) as far as it is applicable to an individual;

- (i) has not been convicted by any competent court for an offence punishable with imprisonment for a term exceeding six months or for an offence involving moral turpitude, and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence:

*Provided* that if a person has been convicted of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of seven years or more, he shall not be eligible to be registered;

- (j) has not been levied a penalty under section 271J of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and time limit for filing appeal before Commissioner of Income-tax (Appeals) or Income-tax Appellate Tribunal, as the case may be has expired, or such penalty has been confirmed by Income-tax Appellate Tribunal, and five years have not elapsed after levy of such penalty; and
- (k) is a fit and proper person:

*Explanation.—* For determining whether an individual is a fit and proper person under these rules, the authority may take account of any relevant consideration, including but not limited to the following criteria-

- (i) integrity, reputation and character,
- (ii) absence of convictions and restraint orders, and
- (iii) competence and financial solvency.

(2) No partnership entity or company shall be eligible to be a registered valuer if-

- (a) it has been set up for objects other than for rendering professional or financial services, including valuation services and that in the case of a company, it is not a subsidiary, joint venture or associate of another company or body corporate;
- (b) it is undergoing an insolvency resolution or is an undischarged bankrupt;
- (c) all the partners or directors, as the case may be, are not ineligible under clauses (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j) and (k) of sub-rule (1);
- (d) three or all the partners or directors, whichever is lower, of the partnership entity or company, as the case may be, are not registered valuers; or
- (e) none of its partners or directors, as the case may be, is a registered valuer for the asset class, for the valuation of which it seeks to be a registered valuer.

**4. Qualifications and experience.—** An individual shall have the following qualifications and experience to be eligible for registration under rule 3, namely:-

- (a) post-graduate degree or post-graduate diploma, in the specified discipline, from a University or Institute established, recognised or incorporated by law in India and at least three years of experience in the specified discipline thereafter; or
- (b) a Bachelor's degree or equivalent, in the specified discipline, from a University or Institute established, recognised or incorporated by law in India and at least five years of experience in the specified discipline thereafter; or

(c) membership of a professional institute established by an Act of Parliament enacted for the purpose of regulation of a profession with at least three years' experience after such membership and having qualification mentioned at clause (a) or (b).



*Explanation-I.*— For the purposes of this clause the ‘specified discipline’ shall mean the specific discipline which is relevant for valuation of an asset class for which the registration as a valuer or recognition as a registered valuers organisation is sought under these rules.

*Explanation-II.*— Qualifying education and experience and examination or training for various asset classes, is given in an indicative manner in **Annexure-IV** of these rules.

**5. Valuation Examination.**— (1) The authority shall, either on its own or through a designated agency, conduct valuation examination for one or more asset classes, for individuals, who possess the qualifications and experience as specified in rule 4, and have completed their educational courses as member of a registered valuers organisation, to test their professional knowledge, skills, values and ethics in respect of valuation:

Provided that the authority may recognise an educational course conducted by a registered valuers organisation before its recognition as adequate for the purpose of appearing for valuation examination:

Provided also that the authority may recognise an examination conducted as part of a master’s or post graduate degree course conducted by a University which is equivalent to the valuation examination.

(2) The authority shall determine the syllabus for various valuation specific subjects or assets classes for the valuation examination on the recommendation of one or more Committee of experts constituted by the authority in this regard.

(3) The syllabus, format and frequency of the valuation examination, including qualifying marks, shall be published on the website of the authority at least three months before the examination.

(4) An individual who passes the valuation examination, shall receive acknowledgement of passing the examination.

(5) An individual may appear for the valuation examination any number of times.

**6. Application for certificate of registration.**— (1) An individual eligible for registration as a registered valuer under rule 3 may make an application to the authority in **Form-A** of **Annexure-II** along with a non-refundable application fee of five thousand rupees in favour of the authority.

(2) A partnership entity or company eligible for registration as a registered valuer under rule 3 may make an application to the authority in **Form-B** of **Annexure-II** along with a non-refundable application fee of ten thousand rupees in favour of the authority .

(3) The authority shall examine the application, and may grant twenty one days to the applicant to remove the deficiencies, if any, in the application.

(4) The authority may require the applicant to submit additional documents or clarification within twenty- one days.

(5) The authority may require the applicant to appear, within twenty one days, before the authority in person, or through its authorised representative for explanation or clarifications required for processing the application.

(6) If the authority is satisfied, after such scrutiny, inspection or inquiry as it deems necessary, that the applicant is eligible under these rules, it may grant a certificate of registration to the applicant to carry on the activities of a registered valuer for the relevant asset class or classes in **Form-C** of the **Annexure-II** within sixty days of receipt of the application, excluding the time given by the authority for presenting additional documents, information or clarification, or appearing in person, as the case may be.

(7) If, after considering an application made under this rule, the authority is of the *prima facie* opinion that the registration ought not be granted, it shall communicate the reasons for forming such an opinion within forty-five days of

receipt of the application, excluding the time given by it for removing the deficiencies, presenting additional documents or clarifications, or appearing in person, as the case may be.

(8) The applicant shall submit an explanation as to why his/its application should be accepted within fifteen days of the receipt of the communication under sub- rule (7), to enable the authority to form a final opinion.

(9) After considering the explanation, if any, given by the applicant under sub-rule (8), the authority shall either -

(a) accept the application and grant the certificate of registration; or

(b) reject the application by an order, giving reasons thereof.

(10) The authority shall communicate its decision to the applicant within thirty days of receipt of explanation.

**7. Conditions of Registration.**— The registration granted under rule 6 shall be subject to the conditions that the valuer shall –

(a) at all times possess the eligibility and qualification and experience criteria as specified under rule 3 and rule 4;

(b) at all times comply with the provisions of the Act , these rules and the Bye-laws or internal regulations, as the case may be, of the respective registered valuers organisation;

(c) in his capacity as a registered valuer, not conduct valuation of the assets or class(es) of assets other than for which he/it has been registered by the authority;

(d) take prior permission of the authority for shifting his/ its membership from one registered valuers organisation to another;

(e) take adequate steps for redressal of grievances;

(f) maintain records of each assignment undertaken by him for at least three years from the completion of such assignment;

(g) comply with the Code of Conduct (as per **Annexure-I** of these rules) of the registered valuers organisation of which he is a member;

(h) in case a partnership entity or company is the registered valuer, allow only the partner or director who is a registered valuer for the asset class(es) that is being valued to sign and act on behalf of it;

(i) in case a partnership entity or company is the registered valuer, it shall disclose to the company concerned, the extent of capital employed or contributed in the partnership entity or the company by the partner or director, as the case may be, who would sign and act in respect of relevant valuation assignment for the company;

(j) in case a partnership entity is the registered valuer, be liable jointly and severally along with the partner who signs and acts in respect of a valuation assignment on behalf of the partnership entity;

(k) in case a company is the registered valuer, be liable alongwith director who signs and acts in respect of a valuation assignment on behalf of the company;

(l) in case a partnership entity or company is the registered valuer, immediately inform the authority on the removal of a partner or director, as the case may be, who is a registered valuer along with detailed reasons for such removal; and

(m) comply with such other conditions as may be imposed by the authority.

**8. Conduct of Valuation.—** (1) The registered valuer shall, while conducting a valuation, comply with the valuation standards as notified or modified under rule 18:

Provided that until the valuation standards are notified or modified by the Central Government, a valuer shall make valuations as per-

- (a) internationally accepted valuation standards;
- (b) valuation standards adopted by any registered valuers organisation.

(2) The registered valuer may obtain inputs for his valuation report or get a separate valuation for an asset class conducted from another registered valuer, in which case he shall fully disclose the details of the inputs and the particulars etc. of the other registered valuer in his report and the liabilities against the resultant valuation, irrespective of the nature of inputs or valuation by the other registered valuer, shall remain of the first mentioned registered valuer.

(3) The valuer shall, in his report, state the following:-

- (a) background information of the asset being valued;
- (b) purpose of valuation and appointing authority;
- (c) identity of the valuer and any other experts involved in the valuation;
- (d) disclosure of valuer interest or conflict, if any;
- (e) date of appointment, valuation date and date of report;
- (f) inspections and/or investigations undertaken;
- (g) nature and sources of the information used or relied upon;
- (h) procedures adopted in carrying out the valuation and valuation standards followed;
- (i) restrictions on use of the report, if any;
- (j) major factors that were taken into account during the valuation;
- (k) conclusion; and
- (l) caveats, limitations and disclaimers to the extent they explain or elucidate the limitations faced by valuer, which shall not be for the purpose of limiting his responsibility for the valuation report.

**9. Temporary surrender.—** (1) A registered valuer may temporarily surrender his registration certificate in accordance with the bye-laws or regulations, as the case may be, of the registered valuers organisation and on such surrender, the valuer shall inform the authority for taking such information on record.

(2) A registered valuers organisation shall inform the authority if any valuer member has temporarily surrendered his/its membership or revived his/ its membership after temporary surrender, not later than seven days from approval of the application for temporary surrender or revival, as the case may be.

(3) Every registered valuers organisation shall place, on its website, in a searchable format, the names and other details of its valuers members who have surrendered or revived their memberships.

**10. Functions of a Valuer.**— A valuer shall conduct valuation required under the Act as per these rules and he may conduct valuation as per these rules if required under any other law or by any other regulatory authority.

**11. Transitional Arrangement.**— Any person who may be rendering valuation services under the Act, on the date of commencement of these rules, may continue to render valuation services without a certificate of registration under these rules upto 31<sup>st</sup> March, 2018:

Provided that if a company has appointed any valuer before such date and the valuation or any part of it has not been completed before 31<sup>st</sup> March, 2018, the valuer shall complete such valuation or such part within three months thereafter.

*Explanation.*— It is hereby clarified that conduct of valuation by any person under any law other than the Act, or these rules shall not be effected by virtue of coming into effect of these rules unless the relevant other laws or other regulatory bodies require valuation by such person in accordance with these rules in which case these rules shall apply for such valuation also from the date specified under the laws or by the regulatory bodies.

### CHAPTER III RECOGNITION OF REGISTERED VALUERS ORGANISATIONS

**12. Eligibility for registered valuers organisations.**— (1) An organisation that meets requirements under sub-rule (2) may be recognised as a registered valuers organisation for valuation of a specific asset class or asset classes if —

(i) it has been registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with the sole object of dealing with matters relating to regulation of valuers of an asset class or asset classes and has in its bye laws the requirements specified in **Annexure-III**;

(ii) a professional institute established by an Act of Parliament enacted for the purpose of regulation of a profession;

Provided that, subject to sub-rule (3), the following organisations may also be recognised as a registered valuers organisation for valuation of a specific asset class or asset classes, namely:-

(a) an organisation registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any relevant state law, or;

(b) an organisation set up as a trust governed by the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882).

(2) The organisation referred to in sub-rule (1) shall be recognised if it —

(a) conducts educational courses in valuation, in accordance with the syllabus determined by the authority, under rule 5, for individuals who may be its valuers members, and delivered in class room or through distance education modules and which includes practical training;

(b) grants membership or certificate of practice to individuals, who possess the qualifications and experience as specified in rule 4, in respect of valuation of asset class for which it is recognised as a registered valuers organisation ;

(c) conducts training for the individual members before a certificate of practice is issued to them;

(d) lays down and enforces a code of conduct for valuers who are its members, which includes all the provisions specified in **Annexure-I**;

(e) provides for continuing education of individuals who are its members;

(f) monitors and reviews the functioning, including quality of service, of valuers who are its members; and

(g) has a mechanism to address grievances and conduct disciplinary proceedings against valuers who are its members.

(3) A registered valuers organisation, being an entity under proviso to sub-rule (1), shall convert into or register itself as a company under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and include in its bye laws the requirements specified in **Annexure- III**, within one year from the date of commencement of these rules.

**13. Application for recognition.**— (1) An eligible organisation which meets the conditions specified in rule 12 may make an application for recognition as a registered valuers organisation for asset class or classes to the authority in **Form-D** of the **Annexure-II** along with a non-refundable application fee of rupees one lakh in favour of the authority.

(2) The authority shall examine the application, and may grant twenty-one days to the applicant to remove the deficiencies, if any, in the application.

(3) The authority may require the applicant to submit additional documents or clarification within twenty-one days.

(4) The authority may require the applicant to appear, within twenty-one days, before the Authority through its authorised representative for explanation or clarifications required for processing the application.

(5) If the authority is satisfied, after such scrutiny, inspection or inquiry as it deems necessary that the applicant is eligible under these rules, it may grant a certificate of recognition as a registered valuers organisation in **Form-E** of **Annexure-II**.

(6) If, after considering an application made under sub-rule (1), the authority is of the *prima facie* opinion that recognition ought not to be granted, it shall communicate the reasons for forming such an opinion within forty-five days of receipt of the application, excluding the time given by it for removing the deficiencies, presenting additional documents or clarifications, or appearing through authorised representative, as the case may be.

(7) The applicant shall submit an explanation as to why its application should be accepted within fifteen days of the receipt of the communication under sub- rule (6), to enable the authority to form a final opinion.

(8) After considering the explanation, if any, given by the applicant under sub- rule (7), the authority shall either -

(a) accept the application and grant the certificate of recognition; or

(b) reject the application by an order, giving reasons thereof.

(9) The authority shall communicate its decision to the applicant within thirty days of receipt of explanation.

**14. Conditions of Recognition.**— The recognition granted under rule 13 shall be subject to the conditions that the registered valuers organisation shall-

(a) at all times continue to satisfy the eligibility requirements specified under rule 12;

(b) maintain a register of members who are registered valuers, which shall be publicly available;

(c) admits only individuals who possess the educational qualifications and experience requirements, in accordance with rule 4 and as specified in its recognition certificate, as members;

(d) make such reports to the authority as may be required by it;

(e) comply with any directions, including with regard to course to be conducted by valuation organisation under clause (a) of sub-rule (2) of rule 12, issued by the authority;

- (f) be converted or registered as company under section 8 of the Act, with governance structure and bye laws specified in **Annexure-III**, within a period of one year from the date of commencement of these rules if it is an organisation referred to in proviso to sub-rule (1) of rule 12;
- (g) shall have the governance structure and incorporate in its bye laws the requirements specified in **Annexure-III** within one year of commencement of these rules if it is an organisation referred to in clause (i) of sub-rule (1) of rule 12 and existing on the date of commencement of these rules;
- (h) display on its website, the status and specified details of every registered valuer being its valuer members including action under rule 17 being taken against him; and
- (i) comply with such other conditions as may be specified by authority.

#### CHAPTER IV

#### CANCELLATION OR SUSPENSION OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OR RECOGNITION

**15. Cancellation or suspension of certificate of registration or recognition.-** The authority may cancel or suspend the registration of a valuer or recognition of a registered valuers organisation for violation of the provisions of the Act, any other law allowing him to perform valuation, these rules or any condition of registration or recognition, as the case may be in the manner specified in rule 17.

**16. Complaint against a registered valuer or registered valuers organisation.-** A complaint may be filed against a registered valuer or registered valuers organisation before the authority in person or by post or courier along with a non-refundable fees of rupees one thousand in favour of the authority and the authority shall examine the complaint and take such necessary action as it deems fit:

Provided that in case of a complaint against a registered valuer, who is a partner of a partnership entity or director of a company, the authority may refer the complaint to the relevant registered valuers organisation and such organisation shall handle the complaint in accordance with its bye laws.

**17. Procedure to be followed for cancellation or suspension of registration or recognition certificate.—** (1) Based on the findings of an inspection or investigation, or a complaint received or on material otherwise available on record, if the authorised officer is of the *prima facie* opinion that sufficient cause exists to cancel or suspend the registration of a valuer or cancel or suspend the recognition of a registered valuers organisation, it shall issue a show-cause notice to the valuer or registered valuers organisation,:

Provided that in case of an organisation referred to in clause (ii) of sub-rule (1) of rule 12 which has been granted recognition, the authorised officer shall, instead of carrying out inspection or investigation, seek the information required from the registered valuers organisation within the time specified therein and in the case of a default, give one more opportunity to provide the information within specified time failing which or in the absence of sufficient or satisfactory information provided, either initiate the process under this rule or refer the matter to the Central Government for appropriate directions.

- (2) The show-cause notice shall be in writing and shall state-
- (a) the provisions of the Act and rules under which it has been issued;
- (b) the details of the alleged facts;
- (c) the details of the evidence in support of the alleged facts;
- (d) the provisions of the Act or rules or certificate of registration or recognition allegedly violated, or the manner in which the public interest has allegedly been affected;

- (e) the actions or directions that the authority proposes to take or issue if the allegations are established;
- (f) the manner in which the person is required to respond to the show-cause notice;
- (g) consequences of failure to respond to the show-cause notice within the given time; and
- (h) procedure to be followed for disposal of the show-cause notice.
- (3) The show-cause notice shall be served in the following manner by-
- (a) sending it to the valuer or registered valuers organisation at its registered address by registered post with acknowledgment due; or
- (b) an appropriate electronic means to the email address provided by the valuer or registered valuers organisation to the authority.
- (4) The authorised officer shall dispose of the show-cause notice by reasoned order in adherence to the principles of natural justice.
- (5) The order in disposal of a show-cause notice may provide for-
- (a) no action;
- (b) warning; or
- (c) suspension or cancellation of the registration or recognition; or
- (d) change in any one or more partner or director or the governing board of the registered valuers organisation.
- (6) An order passed under sub-rule (5) cancelling the recognition of a registered valuers organisation, shall specify the time within which its members may take membership of another registered valuers organisation recognised for valuation of relevant asset class without prejudice to their registration.
- (7) The order passed under sub-rule (5) shall be issued to the concerned person immediately, and published on the website of the authority.
- (8) The order passed under sub-rule (5) shall not become effective until thirty days have elapsed from the date of issue of the order unless stated otherwise.
- (9) Any person aggrieved by an order of the authorised officer under sub-rule (5) may prefer an appeal before the authority.

*Explanation.*— For the purposes of this rule, the authorised officer shall be an officer as may be specified by the authority.

## CHAPTER V VALUATION STANDARDS

**18. Valuation Standards.**— The Central Government shall notify and may modify (from time to time) the valuation standards on the recommendations of the Committee set up under rule 19.

**19. Committee to advise on valuation matters.**— (1) The Central Government may constitute a Committee to be known as “Committee to advise on valuation matters” to make recommendations on formulation and laying down of valuation standards and policies for compliance by companies and registered valuers.

- (2) The Committee shall comprise of-
- (a) a Chairperson who shall be a person of eminence and well versed in valuation, accountancy, finance, business administration, business law, corporate law, economics;
  - (b) one member nominated by the Ministry of Corporate Affairs;
  - (c) one member nominated by the Insolvency and Bankruptcy Board of India;
  - (d) one member nominated by the Legislative Department;
  - (e) up to four members nominated by Central Government representing authorities which are allowing valuations by registered valuers;
  - (f) up to four members who are representatives of registered valuers organisations, nominated by Central Government.
  - (g) Up to two members to represent industry and other stakeholder nominated by the Central Government in consultation with the authority;
- (3) The Chairperson and Members of the Committee shall have a tenure of three years and they shall not have more than two tenures.

## CHAPTER VI

### MISCELLANEOUS

**20. Punishment for contravention.-** Without prejudice to any other liabilities where a person contravenes any of the provision of these rules he shall be punishable in accordance with sub-section (3) of section 469 of the Act.

**21. Punishment for false statement.—** If in any report, certificate or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder or these rules, any person makes a statement,—

(a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material,

he shall be liable under section 448 of the Act.

### ANNEXURE-I

#### MODEL CODE OF CONDUCT FOR REGISTERED VALUERS

[See clause (g) of rule 7 and clause (d) of sub-rule (2) of rule 12]

#### **Integrity and Fairness**

1. A valuer shall, in the conduct of his/its business, follow high standards of integrity and fairness in all his/its dealings with his/its clients and other valuers.
2. A valuer shall maintain integrity by being honest, straightforward, and forthright in all professional relationships.
3. A valuer shall endeavour to ensure that he/it provides true and adequate information and shall not misrepresent any facts or situations.
4. A valuer shall refrain from being involved in any action that would bring disrepute to the profession.



5. A valuer shall keep public interest foremost while delivering his services.

**Professional Competence and Due Care**

6. A valuer shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
7. A valuer shall carry out professional services in accordance with the relevant technical and professional standards that may be specified from time to time
8. A valuer shall continuously maintain professional knowledge and skill to provide competent professional service based on up-to-date developments in practice, prevailing regulations/guidelines and techniques.
9. In the preparation of a valuation report, the valuer shall not disclaim liability for his/its expertise or deny his/its duty of care, except to the extent that the assumptions are based on statements of fact provided by the company or its auditors or consultants or information available in public domain and not generated by the valuer.
10. A valuer shall not carry out any instruction of the client insofar as they are incompatible with the requirements of integrity, objectivity and independence.
11. A valuer shall clearly state to his client the services that he would be competent to provide and the services for which he would be relying on other valuers or professionals or for which the client can have a separate arrangement with other valuers.

**Independence and Disclosure of Interest**

12. A valuer shall act with objectivity in his/its professional dealings by ensuring that his/its decisions are made without the presence of any bias, conflict of interest, coercion, or undue influence of any party, whether directly connected to the valuation assignment or not.
13. A valuer shall not take up an assignment if he/it or any of his/its relatives or associates is not independent in terms of association to the company.
14. A valuer shall maintain complete independence in his/its professional relationships and shall conduct the valuation independent of external influences.
15. A valuer shall wherever necessary disclose to the clients, possible sources of conflicts of duties and interests, while providing unbiased services.
16. A valuer shall not deal in securities of any subject company after any time when he/it first becomes aware of the possibility of his/its association with the valuation, and in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 or till the time the valuation report becomes public, whichever is earlier.
17. A valuer shall not indulge in “mandate snatching” or offering “convenience valuations” in order to cater to a company or client’s needs.
18. As an independent valuer, the valuer shall not charge success fee.
19. In any fairness opinion or independent expert opinion submitted by a valuer, if there has been a prior engagement in an unconnected transaction, the valuer shall declare the association with the company during the last five years.

**Confidentiality**

20. A valuer shall not use or divulge to other clients or any other party any confidential information about the subject company, which has come to his/its knowledge without proper and specific authority or unless there is a legal or professional right or duty to disclose.

**Information Management**

21. A valuer shall ensure that he/ it maintains written contemporaneous records for any decision taken, the reasons for taking the decision, and the information and evidence in support of such decision. This shall be maintained so as to sufficiently enable a reasonable person to take a view on the appropriateness of his/its decisions and actions.
22. A valuer shall appear, co-operate and be available for inspections and investigations carried out by the authority, any person authorised by the authority, the registered valuers organisation with which he/it is registered or any other statutory regulatory body.
23. A valuer shall provide all information and records as may be required by the authority, the Tribunal, Appellate Tribunal, the registered valuers organisation with which he/it is registered, or any other statutory regulatory body.
24. A valuer while respecting the confidentiality of information acquired during the course of performing professional services, shall maintain proper working papers for a period of three years or such longer period as required in its contract for a specific valuation, for production before a regulatory authority or for a peer review. In the event of a pending case before the Tribunal or Appellate Tribunal, the record shall be maintained till the disposal of the case.

**Gifts and hospitality.**

25. A valuer or his/its relative shall not accept gifts or hospitality which undermines or affects his independence as a valuer.

*Explanation.*— For the purposes of this code the term ‘relative’ shall have the same meaning as defined in clause (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

26. A valuer shall not offer gifts or hospitality or a financial or any other advantage to a public servant or any other person with a view to obtain or retain work for himself/ itself, or to obtain or retain an advantage in the conduct of profession for himself/ itself.

**Remuneration and Costs.**

27. A valuer shall provide services for remuneration which is charged in a transparent manner, is a reasonable reflection of the work necessarily and properly undertaken, and is not inconsistent with the applicable rules.
28. A valuer shall not accept any fees or charges other than those which are disclosed in a written contract with the person to whom he would be rendering service.

**Occupation, employability and restrictions.**

29. A valuer shall refrain from accepting too many assignments, if he/it is unlikely to be able to devote adequate time to each of his/ its assignments.
30. A valuer shall not conduct business which in the opinion of the authority or the registered valuer organisation discredits the profession.

**ANNEXURE-II****FORM-A**

[See sub-rule (1) of rule 6]

**Application for registration as a valuer by an individual**

To

The Authority

*[Insert address]*

From

*[Name and address]**Subject: Application for registration as a valuer***Sir/Madam,**

I, having been enrolled as a member with the (please write the name of the Registered valuers organisation), hereby apply for registration as a valuer under section 247 of the Companies Act, 2013 read with sub-rule (1) of rule 6 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 for the following class(es) of assets:-

(a) \_\_\_\_\_

(b) \_\_\_\_\_

My details are as under:

**A. PERSONAL DETAILS**

1. Title (Mr/Mrs/Ms):
2. Name:
3. Father's Name:
4. Mother's Name:
5. Date of Birth:
6. PAN No.:
7. AADHAAR No.:
8. Passport No.:
9. Address for Correspondence:
10. Permanent Address:
11. E-Mail Address
12. Mobile No:

**B. EDUCATIONAL, PROFESSIONAL AND VALUATION EXAMINATION QUALIFICATIONS****1. Educational Qualifications**

[Please provide educational qualifications from Bachelor's degree onwards]

Educational Qualification	Year of Passing	Marks (Per cent.)	Grade/ Class	University/College	Remarks, if any

## 2. Professional Qualifications [excluding valuation specific courses]

Professional Qualification [excluding valuation specific education/courses]	Institute/ Professional Body	Membership No. (if applicable)	Date of enrolment	Remarks, if any

### 3(a) Details of valuation examination passed

Date of examination	Asset class, if any	Marks secured	Percentage

### 3(b) Valuation Qualifications

Valuation specific qualification/course	Recognised Registered Valuers Organisation		Asset class	Membership No. in Registered Valuers Organisation	Remarks, if any.
	Name	Recognition No			

## C. WORK EXPERIENCE

- Are you presently in practice / employment? (Yes or No)
- Number of years in practice or of work experience in the relevant profession or in valuation (in years and months):
- If in practice, address for professional correspondence:
- Number of years in employment (in years and months):
- Experience Details

Sl. No.	From Date	To Date	Employment / Practice	If employed, Name of Employer and Designation	If in practice, experience in the relevant profession/ valuation	Area of work

## D. REGISTERED VALUERS ORGANISATION

- Please give details of the registered valuers organisation of which you are a member.
- Please state your membership number.

**E. ADDITIONAL INFORMATION**

1. Have you ever been convicted for an offence? Yes or No.  
If yes, please give details.
2. Are any criminal proceedings pending against you? (Yes or No)  
If yes, please give details.
3. Have you ever been declared as an undischarged bankrupt, or applied to be adjudged as Bankrupt? (Yes or No)  
If yes, please give details.
4. Please provide any additional information that may be relevant for your application.

**F. ATTACHMENTS**

1. Copy of proof of residence.
2. Copies of documents in support of educational qualifications, professional qualifications and Registered Valuation Examination qualifications.
3. Copies of documents demonstrating practice or work experience for the relevant period.
4. Copies of certificate of employment by the relevant employer(s), specifying the period of such employment.
5. Income Tax Returns for the last three years.
6. Copy of proof of membership with a registered valuers organisation.
7. Passport-size photo.
8. Evidence of deposit / payment of five thousand rupees.

**G. AFFIRMATIONS**

1. Copies of documents, as listed in section F of this application form have been attached/ uploaded. The documents attached/ uploaded are .....  
I undertake to furnish any additional information as and when called for.
2. I am not disqualified from being registered as a valuer under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.
3. This application and the information furnished by me along with this application is true and complete. If found false or misleading at any stage, my registration shall be summarily cancelled.

I hereby undertake to comply with the requirements of the Companies Act, 2013, the rules made thereunder, the directions given by the authority, and the bye-laws, directions and guidelines issued or the resolutions passed in accordance with the bye-laws by the registered valuers organisation with which I am enrolled.

4. The applicable fee has been paid.

Name and Signature of applicant

Place:

Date:

**VERIFICATION BY THE REGISTERED VALUERS ORGANISATION**

We have verified the above details submitted by ... who is our member with membership no. ... and confirm these to be true and correct.

We recommend registration of ... as a valuer.

(Name and Signature)

Authorised Representative of the Registered Valuers Organisation

Seal of the Registered Valuers Organisation

Place:

Date:

**FORM-B**

(See sub-rule (2) of rule 6)

**Application for registration as a valuer by a partnership entity/Company**

To

The Authority,

*[Insert address]*

From

*[Name and address]*

*Subject: Application for registration as a valuer*

**Sir/Madam,**

I, being a partner/director (strike off whichever is not applicable), being duly authorised for the purpose by the partnership entity/company through a resolution/deed (strike out whichever is not applicable) apply on behalf of [ name and address of applicant partnership entity/company], and on behalf of its partners/directors, for registration as a valuer under section 247 of the Companies Act, 2013 read with sub-rule (2) of rule 6 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 for the following class(es) of assets :-

(a) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ The details are as under:

**A. DETAILS OF THE PARTNERSHIP ENTITY/COMPANY**

1. Name:
2. Registration Number/ LLP Number/CIN Number:
3. PAN No.:
4. Address for Correspondence or registered office:
5. Permanent Address:
6. E-Mail Address
7. Telephone No.:
8. Others:

**B. PERSONAL DETAILS OF EACH PARTNER/DIRECTOR**

Title (Mr/Mrs/Ms):

1. Name:
2. Father's Name:
3. Mother's Name:
4. Date of Birth:
5. PAN No.:
6. AADHAAR No.:
7. Passport No.:
8. Address for Correspondence:
9. Permanent Address:
10. E-Mail Address
11. Mobile No.:
12. Others:

**C. EDUCATIONAL, PROFESSIONAL AND VALUATION EXAMINATION QUALIFICATIONS OF PARTNERS/DIRECTORS****1. Educational Qualifications**

[Please provide educational qualifications from Bachelor's degree onwards for each partner/director]

Educational Qualification	Year of Passing	Marks (per cent.)	Grade/ Class	University/College	Remarks, if any

**2. Professional Qualifications** for each partner/director

Professional Qualification	Institute/ Professional Body/ registered valuers organisation	Membership No. (if applicable)	Date of enrolment	Remarks, if any

**3(a) Details of valuation examination passed (for all partners/directors who are registered valuers)**

Date of examination	Asset class, if any	Marks secured	Per centage

**3(b) Valuation Qualifications (for all partners/directors who are registered valuers)**

Valuation specific qualification/course	Recognised Registered Valuers Organisation		Asset class	Membership No. in Registered Valuers Organisation	Remarks, if any.
	Name	Recognition No			

**D. REGISTERED VALUERS ORGANISATION**

1. Please give details of the registered valuers organisation of which you are a member. Please state your membership number.
2. Please give details of the registered valuers organisations of which your partners are members. Please state your membership number.

**E. ADDITIONAL INFORMATION**

1. Have you or any of your partners/directors ever been convicted for an offence? (Yes or No).  
If yes, please give details.
2. Are any criminal proceedings pending against you or your partners/directors? (Yes or No)  
If yes, please give details.
3. Are you or any of your partners/directors undischarged bankrupt, or have applied to be adjudged as a bankrupt? (Yes or No)  
If yes, please give details.
4. Please provide any additional information that may be relevant for your application.

**F. ATTACHMENTS**

1. Copy of proof of residence of itself and its partners/directors.
2. Copies of documents in support of educational qualifications, professional qualifications and valuation qualifications of partners/directors.
3. Financial statements/ Income Tax Returns for the last three years.
4. Copy of proof of membership with a registered valuers organisation .
5. Passport-size photo.
6. Evidence of deposit / payment of ten thousand rupees.

**G. AFFIRMATIONS**

1. Copies of documents, as listed in section F of this application form have been attached/ uploaded. The documents attached/ uploaded are .....  
I undertake to furnish any additional information as and when called for.



2. I am not disqualified from being registered as a valuer under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.
3. This application and the information furnished by me along with this application is true and complete. If found false or misleading at any stage, the registration of the applicant shall be summarily cancelled.
4. I hereby undertake that the partnership entity/company and its partners/directors shall comply with the requirements of the Companies Act, 2013, the rules made thereunder, the directions given by the authority, and the bye-laws, directions and guidelines issued or the resolutions passed in accordance with the bye-laws by the registered valuers organisation with which I am enrolled.
5. The applicable fee has been paid.

Place :  
Date:

Name and Signature of applicant's representative

#### **VERIFICATION BY THE REGISTERED VALUERS ORGANISATION**

We have verified the above details submitted by ... who is our member with membership no. ... and confirm these to be true and correct. We recommend registration of ... as a valuer.

(Name and Signature)

Authorised Representative of the Registered Valuers Organisation

Seal of the Registered Valuers Organisation

Place:  
Date:

#### **FORM-C**

(See sub-rule (6) of rule 6)

#### **CERTIFICATE OF REGISTRATION**

##### **VALUER REGISTRATION NO.**

1. In exercise of the powers conferred by Section 247 of the Companies Act, 2013 read with sub-rule (6) of rule 6 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 the Authority hereby grants a certificate of registration to *[insert name]*, to act as a valuer in respect of *[insert asset class]* in accordance with these rules.
2. This certificate shall be valid from *[insert start date]*.

Date :  
Place :

(Name and Designation)

For and on behalf of the Authority

#### **APPENDIX**

#### **FORM-D**

(See sub-rule (1) of rule 13)

#### **APPLICATION FOR RECOGNITION**

To  
The Authority  
*[Insert address]*

From

[Name and address]

Subject: Application for grant of certificate of recognition as a registered valuers organisation

**Madam/Sir,**

1. I, being duly authorised for the purpose, hereby apply on behalf of [*name and address of the applicant*] for grant of certificate of recognition as a registered valuers organisation in respect of the following class(es) of assets:
  - (a)
  - (b)and enclose a copy of the board resolution authorising me to make this application and correspond with the authority in this respect.
2. Copies of the articles of association, memorandum of association, trust deed, bye-laws and code of conduct, as applicable, of the applicant are enclosed.
3. I, on behalf of [*insert name*], affirm that the applicant is eligible to be recognised as a registered valuers organisation for the abovementioned class(es) of assets.
4. I, on behalf of [*insert name*], hereby affirm that –
  - (a) all information contained in this application is true and correct in all material respects,
  - (b) no material information relevant for the purpose of this application has been suppressed, and
  - (c) recognition granted in pursuance of this application may be cancelled summarily if any information submitted is found to be false or misleading in material respects at any stage.
5. If granted recognition, I, on behalf of [*insert name*], undertake to comply with the requirements of the Act, the rules, directions or guidelines issued by the authority, and such other conditions and terms as may be contained in the certificate of recognition or be specified or imposed by the authority subsequently, including the requirement to convert into a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 within the required period, if applicable.

Yours faithfully, Authorised Signatory

(Name)

(Designation)

Date :

Place :

#### APPENDIX TO FORM-D

#### PART

#### GENERAL

1. Name of the applicant.
2. Address of registered office and principal place of business of the applicant.
3. Corporate Identification Number (CIN)/ PAN/ Other Identification Number.

4. Name, designation and contact details of the person authorised to make this application and correspond with the authority in this respect.

**PART II  
STRUCTURE AND GOVERNANCE**

1. Please provide brief details of the applicant's-
  - (i) form of establishment
  - (ii) ownership structure
  - (iii) governance structure

**PART III  
MEMBERSHIP AND EXAMINATION**

1. Please provide brief details of the
  - (i) number of members who practice valuation and are already registered with the applicant
  - (ii) specific discipline (in terms of rule 4):
  - (iii) other criteria/ qualifications for and manner of registration with the applicant

**Note:** In case of organisations referred to in clause (ii) of sub-rule (1) of rule 12, in lieu of information at (i), they may provide brief details of the number of members who have passed the valuation specific course conducted by the organisation.

2. Please provide brief details of any examination conducted for registration of members with the applicant.
3. Please provide brief details of the requirements of continuous education of the applicant's members.

**PART IV  
CODE OF CONDUCT**

1. Please state if the Code of Conduct of the applicant is in compliance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017.
2. Please specify the clause number of the provisions of the Code of Conduct which are in addition to the provisions of the model Code of Conduct specified in the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 (if any).

**PART V  
MONITORING AND DISCIPLINE**

1. Please provide details mechanisms employed by the applicant to monitor its members.
2. Please provide details of mechanisms employed by the applicant to redress grievances against its members and itself.
3. Please provide details of disciplinary mechanisms employed by the applicant.

Please provide any other details you consider relevant in support of the application.

Authorised Signatory.

(Name)  
(Designation)

Date :

Place:

**FORM-E**

(See sub-rule (5) of rule 13)

**CERTIFICATE OF RECOGNITION REGISTERED VALUERS ORGANISATION RECOGNITION NO.**

1. In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 13 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 the Registration hereby grants a certificate recognising *[insert name]*, as a registered valuers organisation for the valuation of *[insert class(es) of assets]*.

## Conditions of Recognition

2. *[Insert Name]* shall admit as members who possess the educational qualifications and experience as specified herein under:
3. Conditions as laid down in rule 14 *[give in detail]*
4. This certificate of recognition shall be valid from *[insert start date]*.

(Name and Designation)

For and on behalf of the Authority

Date:

Place :

**ANNEXURE - III**

(See sub-rule (3) of rule 12 and clauses (f) and (g) of rule 14)

**Governance Structure and Model Bye Laws for registered valuers organisation  
Part I**

**1. Governance Structure**

No person shall be eligible to be recognised as an registered valuers organisation unless it is a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 with share capital, and –

- (a) its sole object is to carry on the functions of a registered valuers organisation under the Companies Act, 2013;
- (b) it is not under the control of person(s) resident outside India,
- (c) not more than forty-nine per cent. of its share capital is held, directly or indirectly, by persons resident outside India; and
- (d) it is not a subsidiary of a body corporate through more than one layer:  
Explanation: “layer” in relation to a body corporate means its subsidiary;
- (e) itself, its promoters, its directors and persons holding more than ten percent. of its share capital are fit and proper persons.

**2. REGISTERED VALUERS ORGANISATION TO HAVE BYE-LAWS**

- (1) The registered valuers organisation shall submit to the authority its bye-laws along with the application for its registration as a registered valuers organisation.
- (2) The bye-laws shall provide for all matters specified in the model bye-laws in Part II.
- (3) The bye-laws shall at all times be consistent with the model bye-laws.
- (4) The registered valuers organisation shall publish its bye-laws, the composition of all committees formed, and all policies created under the bye-laws on its website.

**3. AMENDMENT OF BYE-LAWS**

- (1) The Governing Board may amend the bye-laws by a resolution passed by votes in favour being not less than three times the number of the votes, if any, cast against the resolution, by the directors.
- (2) A resolution passed in accordance with sub-by law (1) shall be filed with the authority within seven days from the date of its passing, for its approval.
- (3) The amendments to the bye-laws shall come into effect on the seventh day of the receipt of the approval, unless otherwise specified by the authority.
- (4) The registered valuers organisation shall file a printed copy of the amended bye-laws with the authority within fifteen days from the date when such amendment is made effective.

**4. Composition of the Governing Board.**

- (1) The Governing Board shall have a minimum of \_\_\_\_ *[Insert number]* directors.

(2) More than half of the directors shall be persons resident in India at the time of their appointment, and at all times during their tenure as directors.

(3) Not more than one fourth of the directors shall be registered valuers.

(4) More than half of the directors shall be independent directors at the time of their appointment, and at all times during their tenure as directors:

*Provided* that no meeting of the Governing Board shall be held without the presence of at least one independent director.

(5) An independent director shall be an individual –

(a) who has expertise in the field of finance, law, management or valuation;

(b) who is not a registered valuer;

(c) who is not a shareholder of the registered valuers organisation; and

(d) who fulfils the requirements under sub-section (6) of section 149 of the Companies Act, 2013.

(6) The directors shall elect an independent director as the Chairperson of the Governing Board.

*Explanation* - For the purposes of bye laws, any fraction contained in

(a) ‘more than half’ shall be rounded off to the next higher number; and

(b) ‘not more than one- fourth’ shall be rounded down to the next lower number.

## PART II

### MODEL BYE-LAWS OF A REGISTERED VALUERS ORGANISATION

#### I. GENERAL

1. The name of the registered valuers organisation is “\_\_\_\_\_” (hereinafter referred to as the ‘Organisation’).
2. The ‘Organisation’ is registered as a company under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with its registered office situated at \_\_\_\_\_ [*provide full address*].
3. These bye-laws may not be amended, except in accordance with this Annexure.

#### II. DEFINITIONS

4. (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires -
  - (a) “certificate of membership” means the certificate of membership of the Organisation granted under bye-law 10;
  - (b) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
  - (c) “Governing Board” means the Board of Directors or Board of the Organisation as defined under clause (10) of section 2 of Companies Act, 2013 (18 of 2013);

- (d) “relative” shall have the same meaning as assigned to it in clause (77) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these bye-laws shall have the meanings assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

### III. OBJECTIVES

5. (1) The Organisation shall carry on the functions of the registered valuers organisation under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.
- (2) The Organisation shall not carry on any function other than those specified in sub-clause (1), or which is inconsistent with the discharge of its functions as a registered valuers organisation .

### IV. DUTIES OF THE ORGANISATION

6. (1) The Organisation shall maintain high ethical and professional standards in the regulation of its members.
- (2) The Organisation shall -
- (a) ensure compliance with the Companies Act, 2013 and rules, regulations and guidelines issued thereunder governing the conduct of registered valuers organisation and registered valuers;
  - (b) employ fair, reasonable, just, and non-discriminatory practices for the enrolment and regulation of its members;
  - (c) be accountable to the authority in relation to all bye-laws and directions issued to its members;
  - (d) develop the profession of registered valuers;
  - (e) promote continuous professional development of its members;
  - (f) continuously improve upon its internal regulations and guidelines to ensure that high standards of professional and ethical conduct are maintained by its members; and
  - (g) provide information about its activities to the authority.

### V. COMMITTEES OF THE ORGANISATION

#### Advisory Committee of Members.

7. (1) The Governing Board may form an Advisory Committee of members of the Organisation to advise it on any matters pertaining to-
- (a) the development of the profession;
  - (b) standards of professional and ethical conduct; and
  - (c) best practices in respect of Valuation.
- (2) The Advisory Committee may meet at such places and times as the Governing Board may provide.

**Other Committees of the Organisation.**

8. (1) The Governing Board shall constitute-
- (a) one or more Membership Committee(s) consisting of such members as it deems fit;
  - (b) a Monitoring Committee consisting of such members as it deems fit;
  - (c) one or more Grievance Redressal Committee(s), with not less than three members,;
  - (d) one or more Disciplinary Committee(s) consisting of at least one member nominated by the authority.
- (2) The Chairperson of each of these Committees shall be an independent director of the Organisation.

**VI. MEMBERSHIP****Eligibility for Enrolment.**

9. No individual shall be enrolled as a member if he is not eligible to be registered as a registered valuer with the authority:

*Provided* that the Governing Board may provide additional eligibility requirements for enrolment:

*Provided* further that such additional requirements shall not discriminate on the grounds of religion, race, caste, gender, place of birth or professional affiliation.

**Process of Enrolment as Member.**

10. (1) An individual may apply for enrolment as a member by submitting an application in such form, in such manner and with such fees as may be specified by the Organisation.
- (2) The Organisation shall examine the application in accordance with the applicable provisions of the rules, regulations and guidelines thereunder.
- (3) On examination of the application, the Organisation shall give an opportunity to the applicant to remove the deficiencies, if any, in the application.
- (4) The Organisation may require an applicant to submit additional documents, information or clarification that it deems fit, within reasonable time.
- (5) The Organisation may reject an application if the applicant does not satisfy the criteria for enrolment or does not remove the deficiencies or submit additional documents or information to its satisfaction, for reasons recorded in writing.
- (6) The rejection of the application shall be communicated to the applicant stating the reasons for such rejection, within thirty days of the receipt of the application, excluding the time given for removing the deficiencies or presenting additional documents or clarification by the Organisation, as the case may be.
- (7) The acceptance of the application shall be communicated to the applicant, along with a certificate of membership.

(8) An applicant aggrieved of a decision rejecting his application may appeal to the Membership Committee of the Organisation within thirty days from the receipt of such decision.

(10) The Membership Committee shall pass an order disposing of the appeal in the manner it deems expedient, within thirty days of the receipt of the appeal.

#### **Membership Fee.**

11. The Organisation may require the members to pay a fixed sum of money as its annual membership fee.

#### **Register of Members.**

12. (1) The Organisation shall maintain a register of its professional members, containing their-

- (a) name;
- (b) proof of identity;
- (c) contact details;
- (d) address;
- (e) date of enrolment and membership number;
- (f) date of registration with the authority and registration number;
- (g) details of grievances pending against him with the Organisation;
- (h) details of disciplinary proceedings pending against him with the Organisation; and
- (i) details of orders passed against him by the authority or Disciplinary Committee of the Organisation.

(2) The records relating to a member shall be made available for inspection to-

- (a) the authority,
- (b) any other person who has obtained the consent of the member for such inspection.

### **VII. DUTIES OF MEMBERS**

13. (1) In the performance of his functions, a member shall-

- (a) act in good faith in discharge of his duties as a registered valuer;
- (b) discharge his functions with utmost integrity and objectivity;
- (c) be independent and impartial;
- (d) discharge his functions with the highest standards of professional competence and professional ethics;
- (e) continuously upgrade his professional expertise;
- (f) comply with applicable laws in the performance of his functions; and



- (g) maintain confidentiality of information obtained in the course of his professional activities unless required to disclose such information by law.

14. The Organisation shall have a Code of Conduct that shall be consistent with, and that shall provide for all matters in the Code of Conduct as specified in the Annexure-I.

#### VIII. MONITORING OF MEMBERS

15. The Organisation shall have a Monitoring Policy to monitor the professional activities and conduct of members for their adherence to the provisions of the Act, rules, regulations and guidelines issued thereunder, these bye-laws, the Code of Conduct and directions given by the Governing Board.

16. A member shall submit information about ongoing and concluded engagements as a registered valuer, in the manner and format specified by the Organisation, at least twice a year stating inter alia, the date of assignment, date of completion and reference number of valuation assignment and valuation report.

17. The Monitoring Committee shall review the information and records submitted by the members in accordance with the Monitoring Policy.

18. The Monitoring Policy shall provide for the following -

- (a) the frequency of monitoring;
- (b) the manner and format of submission or collection of information and records of the members, including by way of inspection;
- (c) the obligations of members to comply with the Monitoring Policy;
- (d) the use, analysis and storage of information and records;
- (e) evaluation of performance of members; and
- (f) any other matters that may be specified by the Governing Board.

19. The Monitoring Policy shall –

- (a) have due regard for the privacy of members,
- (b) provide for confidentiality of information received, except when disclosure of information is required by the authority or by law, and
- (c) be non-discriminatory.

20. The Organisation shall submit a report to the authority in the manner specified by the authority with information collected during monitoring, including information pertaining to -

- (a) the details of the appointments made under the Act/these Rules,
- (b) the transactions conducted with stakeholders during the period of his appointment;
- (c) the transactions conducted with third parties during the period of his appointment; and
- (d) the outcome of each appointment.

**IX. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM**

21. (1) The Organisation shall have a Grievance Redressal Policy providing the procedure for receiving, processing, redressing and disclosing grievances against the Organisation or any member of the Organisation by-
- (a) any member of the Organisation;
  - (b) any person who has engaged the services of the concerned members of the Organisation; or
  - (c) any other person or class of persons as may be provided by the Governing Board.
- (2) The Grievance Redressal Committee, after examining the grievance, may-
- (a) dismiss the grievance if it is devoid of merit; or
  - (b) initiate a mediation between parties for redressal of grievance.
- (3) The Grievance Redressal Committee shall refer the matter to the Disciplinary Committee, wherever the grievance warrants disciplinary action.
22. The Grievance Redressal Policy shall provide for-
- (a) the format and manner for filing grievances;
  - (b) maximum time and format for acknowledging receipt of a grievance;
  - (c) maximum time for the disposal of the grievance by way of dismissal, reference to the Disciplinary Committee or the initiation of mediation;
  - (d) details of the mediation mechanism
  - (e) provision of a report of the grievance and mediation proceedings to the parties to the grievance upon dismissal or resolution of the grievance;
  - (f) action to be taken in case of malicious or false complaints;
  - (g) maintenance of a register of grievances made and resolutions arrived at; and
  - (h) periodic review of the Grievance Redressal Mechanism.

**X. DISCIPLINARY PROCEEDINGS**

23. The Organisation may initiate disciplinary proceedings by issuing a show-cause notice against members-
- (a) based on a reference made by the Grievances Redressal Committee;
  - (b) based on monitoring of members;
  - (c) following the directions given by the authority or any court of law; or
  - (d) *suo moto*, based on any information received by it.
24. (1) The Organisation shall have a Disciplinary Policy, which shall provide for the following -

- (a) the manner in which the Disciplinary Committee may ascertain facts;
- (b) the issue of show-cause notice based on the facts;
- (c) disposal of show-cause notice by a reasoned order, following principles of natural justice;
- (d) timelines for different stages of disposal of show cause notice; and
- (e) rights and obligations of the parties to the proceedings.

(2) The orders that may be passed by the Disciplinary Committee shall include-

- (a) expulsion of the member;
- (b) suspension of the member for a certain period of time;
- (c) admonishment of the member;
- (d) imposition of monetary penalty;
- (e) reference of the matter to the authority, which may include, in appropriate cases, recommendation of the amount of restitution or compensation that may be enforced by the authority; and
- (f) directions relating to costs.

(3) The Disciplinary Committee may pass an order for expulsion of a member if it has found that the member has committed-

- (a) an offence under any law for the time being in force, punishable with imprisonment for a term exceeding six months, or an offence involving moral turpitude;
- (b) a gross violation of the Act, rules, regulations and guidelines issued thereunder, bye-laws or directions given by the Governing Board which renders him not a fit and proper person to continue acting as a registered valuer.

(4) Any order passed by the Disciplinary Committee shall be placed on the website of the Organisation within seven days from passing of the said order, with one copy each being provided to each of the parties to the proceeding.

(5) Monetary penalty received by the Organisation under the orders of the Disciplinary Committee shall be used for the professional development.

25. (1) The Governing Board shall constitute an Appellate Panel consisting of one independent director of the Organisation, one member each from amongst the persons of eminence having experience in the field of law and field of valuation, and one member nominated by the authority.

(2) Any person aggrieved of an order of the Disciplinary Committee may prefer an appeal before the Appellate Panel within thirty days from the receipt of a copy of the final order.

(3) The Appellate Panel shall dispose of the appeal in the manner it deems expedient, within thirty days of the receipt of the appeal.

## **XI. SURRENDER OF MEMBERSHIP AND EXPULSION FROM MEMBERSHIP**

### **Temporary Surrender of Membership.**

26. (1) A member shall make an application for temporary surrender of his membership of the Organisation at least thirty days before he-
- (a) becomes a person not resident in India;
  - (b) takes up employment; or
  - (c) starts any business, except as specifically permitted under the Code of Conduct;
- and upon acceptance of such temporary surrender and on completion of thirty days from the date of application for temporary surrender, the name of the member shall be temporarily struck from the registers of the Organisation, and the same shall be intimated to the authority.
- (2) No application for temporarily surrender of membership of the Organisation shall be accepted if -
- (a) there is a grievance or disciplinary proceeding pending against the member before the Organisation or the authority, and he has not given an undertaking to cooperate in such proceeding; or
  - (b) the member has been appointed as a registered valuer for a process under the Companies Act, 2013, and the appointment of another registered valuer may be detrimental to such process.
- (3) A member may make an application to revive his temporarily surrendered membership when the conditions for temporary surrender as provided in sub-clause (1) cease to be applicable, and upon acceptance of the application for revival, the name of the member shall be re-inserted in the register of the Organisation, and the same shall be intimated to the authority.

### **Surrender of Membership**

27. (1) A member who wishes to surrender his membership of the Organisation may do so by submitting an application for surrender of his membership.
- (2) Upon acceptance of such surrender of his membership, and completion of thirty days from the date of such acceptance, the name of the member shall be struck from the registers of the Organisation, and the same shall be intimated to the authority.
28. Any fee that is due to the Organisation from a member surrendering his membership shall be cleared prior to his name being struck from the registers of the Organisation.
29. The Organisation may refuse to accept the surrender of membership by any member if -
- (a) there is any grievance or disciplinary proceeding pending against the member before the Organisation or the authority; or
  - (b) the member has been appointed as a registered valuer process under the Companies Act, 2013, and the appointment of another registered valuer may be detrimental to such process.

### **Expulsion from Membership.**

30. A member shall be expelled by the Organisation—
- (a) if he becomes ineligible to be enrolled under bye-law 9;

- (b) on expiry of thirty days from the order of the Disciplinary Committee, unless set aside or stayed by the Appellate Panel;
- (c) upon non-payment of membership fee despite at least two notices served in writing;
- (d) upon the cancellation of his certificate of registration by the authority;
- (e) upon the order of any court of law.

## ANNEXURE-IV

**Indicative Matrix on requisite qualifications/experience in specified discipline**

(See Explanation II to rule 4 )

Asset Class	Educational qualification in specified discipline		Experience in specified discipline	Valuation Specific Education Course
	Graduate level	Post Graduate level		
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
Land and Building	(A) Graduate in Civil Engineering, Architecture or town planning of a recognised University	-----	Five years of experience in the discipline after completing Graduation	Courses as per syllabus specified under rule 5
	(B) Graduate in Civil Engineering, Architecture or town planning of a recognised University	post-graduate in Civil Engineering, Architecture or town planning of a recognised University	three years of experience in the discipline after completing Post Graduation	Courses as per syllabus specified under rule 5
	(C) Graduate in a discipline specified by the Authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition	post-graduate in valuation of land and building or real estate from a recognised university	five years of experience in the discipline after completing Post Graduation	Courses as per syllabus specified under rule 5
	Any other graduate level qualification in accordance with rule 4 as may be specified by the Authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition.	Any other post graduate level qualification in accordance with rule 4 as may be specified by the authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition.	At least five years and three years of experience in case of graduate level degree and post graduate level degree respectively.	Courses as per syllabus specified under rule 5
Plant and Machinery	(A) Graduate in Mechanical or Electrical Engineering of a recognised University	-----	Five years of experience in the discipline after completing Graduation	Courses as per syllabus specified under rule 5
	(B) Graduate in Mechanical or Electrical Engineering of a recognised University	Post Graduate in Mechanical or Electrical Engineering of a recognised University	Three years of experience in the discipline after completing Post Graduation	Courses as per syllabus specified under rule 5
	(C) Graduate in valuation of machinery and plant from a recognised university	Post-graduate degree in valuation of machinery and plant from a recognised university	Three years of experience in the discipline after completing Post Graduation	Courses as per syllabus specified under rule 5

	Any other graduate level qualification in accordance with rule 4 as may be specified by the authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition.	Any other post graduate level qualification in accordance with rule 4 as may be specified by the authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition.	At least five years and three years of experience in case of graduate level degree and post graduate level degree respectively.	Courses as per syllabus specified under rule 5
Securities or Financial Assets	Graduate in any stream	(1) Member of the Institute of Chartered Accountants or The Institute of Cost Accountants of India or the Institute of Company Secretaries of India;  (2) MBA/PGDBM specialisation in finance or;  (3) Post Graduate Degree in Finance	Three years of experience in the discipline after completing graduation.	Courses as per syllabus specified under rule 5
	Any other graduate level qualification in accordance with rule 4 as may be specified by the authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition.	Any other post graduate level qualification in accordance with rule 4 as may be specified by the authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition.	At least five years and three years of experience in case of graduate level degree and post graduate level degree respectively.	Courses as per syllabus specified under rule 5
Any other asset class along with corresponding qualifications and experience in accordance with rule 4 as may be specified by the authority for a registered valuers organisation in its conditions of recognition.				

[File No. 1/27/2013-CL-V]  
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.